

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FP-DHAP/176/2024-25/2446-2 दिनांक 29.07.2024

विषय : वर्ष 2024-25 में परिवार नियोजन, कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑन गोईंग गतिविधियों के संचालन तथा कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु बजट आवंटन तथा डैप (दिशा निर्देश) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार से अनुमोदित वर्ष 2024-25 की आर0ओ0पी0 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर ऑन गोईंग गतिविधियों के संचालन तथा मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाना है।

अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत -

- मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित की जाने वाली अनुमोदित गतिविधियों के सम्पादन एवं मानदेय हेतु बजट का FAMS Allocation समस्त जनपदों को कर दिया गया है, जिसकी जनपदवार फॉट पत्र के साथ संलग्न है।
- मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक पर कार्यरत मानव संसाधन के 12 माह (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) हेतु मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्यरत कर्मियों को वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।

तत्कम में, पत्र के साथ बजट उपयोग किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश (डैप गाईड लाईन) संलग्न कर जनपदों को इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि सभी गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन तथा व्यय की गई धनराशि का शासकीय एवं वित्तीय नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप उपयोगित किये जाने के उपरान्त वित्तीय प्रगति को फ़ॉट्स पोर्टल पर ससमय सूचना अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।

आपसे अनुरोध है कि संलग्नित डैप दिशा निर्देश के अनुसार, गतिविधियों का सम्पादन करते हुए, बजट आवंटित सीमा तक, नियमानुसार उपयोगित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक - वर्ष 2024-25 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत की सम्पादित की जाने वाली ऑन गोईंग गतिविधियों एवं मानव संसाधन मानदेय बजट फॉट एवं डैप दिशा निर्देश।

भवदीया
प्रमोद
(डॉ० पीकी जोषी)
मिशन निदेशक
तद्दिनांक

पत्रांक :- एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FP-DHAP/176/2024-25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, प0क0, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, सिफसा, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. महाप्रबन्धक, मानव संसाधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबंधक/कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, फैमिली प्लानिंग, उ0प्र0 टेक्निकल सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।

(डॉ० सूर्याशु ओझा)
महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FP-DHAP/176/2024-25

दिनांक 29.07.2024

विषय : वर्ष 2024-25 में परिवार नियोजन, कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑन गोईंग गतिविधियों के संचालन तथा कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु बजट आवंटन तथा डैप (दिशा निर्देश) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार से अनुमोदित वर्ष 2024-25 की आर0ओ0पी0 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर ऑन गोईंग गतिविधियों के संचालन तथा मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन को मानदेय प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाना है।

अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत -

- मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित की जाने वाली अनुमोदित गतिविधियों के सम्पादन एवं मानदेय हेतु बजट का FAMS Allocation समस्त जनपदों को कर दिया गया है, जिसकी जनपदवार फॉट पत्र के साथ संलग्न है।
- मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक पर कार्यरत मानव संसाधन के 12 माह (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) हेतु मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्यरत कर्मियों को वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।

तत्क्रम में, पत्र के साथ बजट उपयोग किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश (डैप गाईड लाईन) संलग्न कर जनपदों को इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि सभी गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन तथा व्यय की गई धनराशि का शासकीय एवं वित्तीय नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप उपयोगित किये जाने के उपरान्त वित्तीय प्रगति को फॉट पोर्टल पर ससमय सूचना अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि संलग्नित डैप दिशा निर्देश के अनुसार, गतिविधियों का सम्पादन करते हुए, बजट आवंटित सीमा तक, नियमानुसार उपयोगित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक - वर्ष 2024-25 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत की सम्पादित की जाने वाली ऑन गोईंग गतिविधियों एवं मानव संसाधन मानदेय बजट फॉट एवं डैप दिशा निर्देश।

भवदीया

(डॉ० पिकी जॉबल)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक :- एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FP-DHAP/176/2024-25/2446-2(10)

प्रातिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, एन0ओ, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, सिप्रसा, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. महाप्रबन्धक, मानव संसाधन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबंधक/कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, फॅमिली प्लानिंग, उ0प्र0 टेक्निकल सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।

(डॉ० सुधाशु आझा)
महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑन गोईंग गतिविधियों के सम्पादन हेतु दिशा निर्देश (डैप गाईडलाईन)

प्रदेश की वर्तमान सकल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) 2.4 को आगामी वर्षों में 2.1 तक प्राप्त किए जाने हेतु परिवार नियोजन की स्थाई व अस्थायी दोनों प्रकार की विधियों को जनसमुदाय के मध्य प्रोत्साहित करते हुये लक्ष्य दम्पतियों को उनकी इच्छानुसार, गर्भ निरोधक साधन/सेवायें उपलब्ध कराये जाने हैं। वर्ष 2024-25 में, इन उद्देश्यों को ससमय प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार गतिविधियां सम्पादित की जानी है :-

1. प्रदेश के समस्त जनपदों में परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियाँ यथा-प्रत्येक त्रैमास मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन, समुदाय की सहभागिता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से सास-बहू बेटा सम्मेलन तथा नव दम्पतियों को शगुन किट (शगुन किट का वितरण), एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का क्रियान्वयन, उपकेन्द्र स्तर तक परिवार नियोजन बॉक्स (कण्डोम बॉक्स) की स्थापना तथा नवीन गर्भ निरोधक साधनों की उपकेन्द्र स्तर तक उपलब्धता आदि सुनिश्चित किया जाना है। परिवार नियोजन की सेवाओं की उपलब्धता जन समुदाय के निकटतम बिंदु तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1189(ए)/2022/पाँच-9-2022-9 (127)/12 दिनांक 03.03.2023 के क्रम में परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता छाया-वी.एच.एन.डी. (CIVHND) सत्रों के दौरान भी सुनिश्चित किया जाना है। प्रत्येक छाया वी.एच. एन.डी. (CIVHND) सत्र में निर्धारित की गई मात्रा के अनुसार परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। जनपद स्तर पर कार्यरत सहयोगी संस्थाओं के समन्वयन के साथ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाये।
2. यद्यपि, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि के आधार पर DHAP में जनपदवार राशि का आवंटन किया गया है, परन्तु इसका सम्बन्ध, जनपद के स्थायी एवं अस्थायी विधा के निर्धारित भौतिक ELA से नहीं है। प्रत्येक जनपद को अपनी जनपद की अनुपूरक मांग (अनमेट नीड) के आधार पर प्रत्येक लक्ष्य दम्पति को उनकी इच्छा के अनुरूप (बास्केट ऑफ च्वाइस) परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध कराना है।
3. चूंकि भारत सरकार से अनुमोदित आर0ओ0पी0 में गतिविधिवार धनराशि निर्धारित व अनुमोदित होती है, अतः लाभार्थी से संबन्धित (DBT) भुगतान को छोड़कर अन्य सभी मद के भुगतान DHAP में आवंटित बजट के अधिकतम सीमा के अंतर्गत ही उपयोगित किया जाए।
4. प्रायः जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष के समाप्ति के समय ESB स्कीम, नियत दिवस सेवा (FDOS-Male/Female), पी0ओ0एल0, भिन्न-भिन्न मदों में सेवाप्रदाताओं एवं परिवार नियोजन परामर्शदाताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त मदों में जनपदों को DHAP में आवंटित सीमा के अन्तर्गत ही नियमानुसार व्यय किया जाना है।
5. सभी भुगतान एवं व्यय डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ही किए जाएंगे।
6. जनपद द्वारा वर्ष 2023-24 की कमिट करायी गयी धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 में वित्तीय नियमानुसार शत-प्रतिशत उपयोगित किया जाये।
7. समय-समय पर जनपदों द्वारा परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत किये गये क्लेम के सापेक्ष राज्य इण्डेमनिटी उप कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त दिये गये संस्तुति के आधार पर ही एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित किया जाता है। कुछ जनपदों द्वारा एन0एच0एम0 से आवंटित धनराशि का लाभार्थी को ससमय भुगतान नहीं किया जाता है और आवंटित धनराशि को कमिट भी नहीं किया जाता है जिससे लाभार्थी अथवा लाभार्थी के परिवार कोर्टकेस एवं जनसुनवाई आदि के माध्यम से शिकायत दर्ज करते हैं जिससे वाद दायर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है (ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की दशा में जनपद द्वारा लापरवाही बरते जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद का होगा)। अतः स्पष्ट किया जाता है कि परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित होने के उपरान्त अतिशीघ्र लाभार्थी अथवा उनके परिजनों को तुरन्त भुगतान किये जाने की कार्यवाही वित्तीय नियमानुसार किया जाए।

t

f f 0 H &

8. जनपद स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन एवं जनपदीय उपलब्धियों हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी हैं। अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी को परिवार कल्याण, पी0सी0पी0एन0डी0टी0, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं एवं आर0टी0आई0/एस0टी0आई0 गतिविधियों हेतु समेकित नोडल अधिकारी-परिवार नियोजन के रूप में नामित किया जाये। तदोपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनको अधिकार प्रदत्त करें तथा उनके माध्यम से जनपद स्तरीय गतिविधियों का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन की अस्थायी एवं स्थायी विधियों की प्रगति एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट से ही लिया जाता है। इसलिए नोडल अधिकारी परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक का उत्तरदायित्व होगा कि वे मासिक रिपोर्ट में उपरोक्तानुसार वर्णित निजी चिकित्सालयों की रिपोर्ट को सम्मिलित करने हेतु एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर यूनिट को पंजीकृत करते हुए प्रगति को अद्यतन करें। साथ ही एच0एम0आई0एस0 पोर्टल की रिपोर्ट का आंकलन कर त्रुटियों को दूर कराते हुए मासिक रिपोर्ट का प्रेषण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें।
10. मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ, भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट, जिनसे सम्बन्धित आंकड़ों को एच0एम0आई0एस0 पोर्टल द्वारा संग्रहित एवं संकलित नहीं किये जाने की स्थिति में मैनुअल रिपोर्टिंग नोडल अधिकारी-परिवार कल्याण, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
11. परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त स्टैंडर्ड मैनुअल्स, रजिस्टर, प्रपत्र, बुकलेट (सहमति-पत्र, मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट, पोस्ट ऑपरेटिव कार्ड्स, प्रमाण पत्र, बलेम फार्म आदि), वाउचर, प्रचार-प्रसार सामग्री आदि का मुद्रण पूर्ण कर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित समस्त स्वास्थ्य ईकाईयों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
12. यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य इकाईयों में बास्केट आफ चॉइस बना हो एवं सुसज्जित प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। इसी के साथ समस्त जिला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बास्केट आफ चॉइस की मुहर भी अवश्य ही उपलब्ध हो एवं उसका प्रयोग भी किया जा रहा हो। इस संबंध में पूर्व में ही विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।
13. वर्तमान में परिवार नियोजन सामग्री की आपूर्ति एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। राज्य स्तर से आरम्भ होकर उपकेन्द्र स्तर तथा समुदाय स्तरीय कार्यकर्त्री (आशा) तक गर्भनिरोधक सामग्रियों की माँग के सापेक्ष आपूर्ति एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि जिला स्तर की फैंसिलिटी से लेकर आशा स्तर तक परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता अवश्य रहें और स्टॉक आउट किसी भी दशा में न हो।
14. यह सुनिश्चित करना है कि जनपद की सभी स्वास्थ्य इकाई व आशाओं की मैपिंग एफ.पी.एल.एम.आई.एस. पोर्टल पर अवश्य हो जाए। इन सभी का एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 आई.डी. एवं पासवर्ड संबन्धित स्वास्थ्य इकाईयों एवं आशाओं से साझा कर दिया जाए।
15. परिवार नियोजन सामग्री के वितरण के लिए मात्र एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल का ही प्रयोग किया जाए, किसी भी दशा में मैनुअल सामग्री किसी को भी न दी जाए। हर माह एच0एम0आई0एस0 में अंकित आकड़ों के सापेक्ष एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 में अंकित Consumption (खपत) का मिलान किया जाए, जिससे पोर्टल में भी सही वितरित सामग्री दर्ज हो।
16. जनपद स्तर पर आशा के सहयोग से ग्रामवार, उपकेन्द्रवार एवं ब्लॉकवार लक्ष्य दम्पतियों की संख्या का वास्तविक अंकन किया जाये। साथ ही आशा के वी0एच0आई0आर0 रजिस्टर को भी अपडेट करते हुये लक्ष्य दम्पतियों को इच्छुक गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराएं।
17. प्रत्येक इच्छुक लक्ष्य दम्पति को उसकी इच्छानुसार गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु आशा के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन किया जाये। जनपद स्तर पर समस्त गतिविधियों का नियमित मासिक अनुश्रवण, मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला फ़ैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, परिवार कल्याण, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मण्डलीय फ़ैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा।

18

19

20

21

22

23

18. परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी मासिक, त्रैमासिक तथा समय-समय पर मांगी गयी समस्त रिपोर्ट्स नवीन निर्धारित प्रारूप पर सॉफ्ट एवं हार्ड/स्कैन कॉपी ई-मेल jdfamilyplanning@gmail.com व gmfamilyplanning2023@gmail.com के माध्यम से राज्य को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी-परिवार नियोजन एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के समन्वयन से जिला एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक की होगी। नोडल अधिकारी-परिवार नियोजन पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एवं सुरक्षित गर्भपात सेवाओं सम्बन्धी समस्त गतिविधियों की मासिक प्रगति आख्या को जनपद वैलिडेशन कमेटी में परीक्षण कर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के माध्यम से राज्य मुख्यालय को निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
19. निजी चिकित्सालय/संस्थाएं यथा-हौसला साझीदारी के अन्तर्गत अधिकृत निजी चिकित्सालय/संस्था के अतिरिक्त केन्द्रीय उपक्रमों अथवा अन्य सरकारी संस्थाओं यथा- रेलवे व सैन्य चिकित्सालयों एम0जी0एच0एन0 अधिकृत/एफ0पी0पी0पी0ई0ए0 परियोजना के अन्तर्गत, चिन्हित चिकित्सालय के साथ अन्य निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा इकाईयों द्वारा परिवार नियोजन के क्षेत्र में किये गये कार्य को भी जनपद की उपलब्धि में सम्मिलित किया जायेगा।
20. परिवार नियोजन कार्यक्रम के समस्त गतिविधियों का नियमित मासिक अनुश्रवण, मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अपर/उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक तथा मण्डल स्तर पर मण्डलीय अपर निदेशक, परिवार कल्याण, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मण्डलीय फैमिली प्लानिंग एवं एल0एम0आई0एस0 प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (UPTSU) के जिला विशेषज्ञ-परिवार नियोजन (DFPS) द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
21. वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 के परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ प्रमुख बेंचमार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित किया जाना है। प्रमुख बेंचमार्क का विवरण निम्नानुसार है-

Key performance indicators (as per ROP 2024-25)

Indicator statement	Indicator	Unit	ELA 2024-25
PPIUCD acceptance	Percentage of PPIUCD acceptance among institutional deliveries Numerator: Number of PPIUCDs inserted in public facilities Denominator: Number of institutional deliveries in public facilities	Percentage (%)	35 %
Injectable MPA user	Percentage of Injectable MPA users among eligible couples Numerator: Total number of injectable MPA dose/4 Denominator: Number of eligible couples	Percentage (%)	0.7%
Operationalization of FPLMIS	% of facilities indenting and issuing the stock in FPLMIS out of total facilities (including Sub centers) Numerator: Number of facilities indenting and issuing the stock in FPLMIS (including Sub centers) Denominator: Total number of facilities registered in FPLMIS (including Sub centers)	Percentage (%)	96%
% Increase in Male sterilization from 2022-23	Numerator: No. Of male sterilization in the current year Denominator: No. of male sterilization on 2022-23.	Percentage (%)	30%
No. of Shagun Kit Distributed per ASHA	Numerator: No. of Shagun Kit distributed Denominator : No. of ASHA Source : MPV Quarterly Report	Number	7 kit per ASHA
No. of Saas Beta Bahu Samellan Conducted	Numerator: No. of SBS Conducted Source: MPV Quarterly Report	Number	1,79,548

2

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार एफ0एम0आर0 कोड का विवरण

क्र0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 कोड
01	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी में दी जाने वाली राशियों का विवरण	
1.1	सरकारी चिकित्सा इकाईयां में महिला नसबंदी (अन्तराल) हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान	42.7
1.2	सरकारी चिकित्सा इकाईयां में प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान	42.8
1.3	सरकारी चिकित्सा इकाईयां में पुरुष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान	43.1
1.4	होसला साझीदारी के अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में महिला नसबंदी (अन्तराल एवं प्रसव पश्चात् हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान	42.9 & 42.10
1.5	होसला साझीदारी अन्तर्गत अभिप्रमाणित कौट टीम द्वारा महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक/आशा को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति/प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान	42.11
1.6	होसला साझीदारी अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में पुरुष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान	43.3
1.7	होसला साझीदारी अन्तर्गत अभिप्रमाणित कौट टीम द्वारा पुरुष नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक/आशा को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति/प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान	43.5
1.8	महिला एवं पुरुष नसबन्दी नियत दिवस सेवा	42.16
1.9	फेमिली प्लानिंग इन्फोमेटिटी (FPIS) स्कीम	47.1
1.10	सर्जन टीम हेतु परिवहन व्यवस्था के लिए	50.22
02	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत अस्थाई विधियों में दी जाने वाली राशियों का विवरण	
2.1	प्रसव पश्चात् आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन व लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान	44.5
2.2	गर्भसमापन पश्चात् आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान	44.6
2.3	ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयां पर प्रसव पश्चात् आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान	186.4
2.4	नगरीय स्वास्थ्य इकाईयां पर प्रसव पश्चात् आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) का कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान	143.1
2.5	ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयां पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात् आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान	186.5
2.6	नगरीय स्वास्थ्य इकाईयां पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात् आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) का कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान	143.2
2.7	जनपद के ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयां पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन	186.6
2.8	जनपद के नगरीय सरकारी स्वास्थ्य इकाईयां पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन	143.3
2.9	अन्तरा इजेक्शन हेतु लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि	45.3
03	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशि का विवरण	
3.1	प्रसव पश्चात् आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन करवाने हेतु लाभार्थी को प्रोत्साहित किए जाने पर आशा प्रोत्साहन राशि	44.1
3.2	गर्भसमापन पश्चात् आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान	44.2
3.3	अन्तरा इजेक्शन हेतु आशाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि	45.1
3.4	सांस-बटा-बट्टू सम्मेलन के आयोजन हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि	46.1
3.5	शगुन किट (नई पहल किट) वितरण हेतु आशा का प्रोत्साहन राशि	46.2
3.6	एन्वयोरिंग स्पेसिंग एट वर्थ स्वैम (ESB) के तहत अस्थायी एवं स्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि	ESB-1:50.1 ESB-2:50.2 ESB-3: 50.3
04	मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों एवं राशि का विवरण	
4.1	नव विवाहित दम्पतियों का परिवार नियोजन साधना के चार में अवगत कराने हेतु शगुन किट (नई पहल किट) का क्रय	46.3

4 P 8

(5)

क्र०	गतिविधि	एफ०एम०आर० कोड
4.2	मिशन परिवार विकास अभियान (प्रत्येक तिमाही)	46.6
	सास-बेटा-बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु	46.4
4.4	प्रचार-प्रसार वाहन "सास्थी" (प्रत्येक तिमाही)	46.5
05	परिवार नियोजन सेवाओं संबंधी सामग्री के भंडारण एवं वितरण संबंधी विवरण	
5.1	परिवार नियोजन सेवाओं सम्बन्धी सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुँचाने हेतु यात्रा व्यय	48.3,48.4 48.5
06	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों का विवरण	
6.1	लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण	42.2
6.2	लैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण	42.1
6.3	मिनि लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण	42.4
6.4	मिनि लैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण	42.3
6.5	लैप/मिनि लैप मास्टर ट्रेनर (ToT) प्रशिक्षण	42.5
6.6	पुरुष नसबंदी (NSV) इन्डक्शन प्रशिक्षण	43.7
6.7	पुरुष नसबंदी (NSV) रिफ्रेशर प्रशिक्षण	43.8
6.8	कम्प्रेहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी-पीपीआईआई०यू०सी०डी० प्रशिक्षण (CHOs/SNs/ANMs हेतु)	44.3
6.9	गर्भनिरोधक इन्जेक्शन अन्तरा पर SNs/ANMs का दो दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण	45.2
6.10	Integrated counselling training on GOI manual (6 days)	50.6
07	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठकों का विवरण	
7.1	समस्त जनपदों के ग्रामीण ए.एन.एम. का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक	50.4
7.2	समस्त जनपदों के शहरी ए०एन०एम० व आशा का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक	50.5
7.5	मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक	50.26
7.6	क्षेत्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक	50.29
08	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिये जाने वाले मानदेय/मैनेजमेंट कॉस्ट का विवरण	
8.1	परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु मानदेय	185.C.S0522
8.2	मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ०पी० एण्ड एल०एम०आई०एस० मैनेजर का मानदेय	185.C.S1109
8.3	मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ०पी० एण्ड एल०एम०आई०एस० मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट	48.6
8.4	जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ०पी० एण्ड एल०एम०आई०एस० मैनेजर हेतु मानदेय मद का व्यय	185.C.S1110
8.5	जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ०पी०एल०एम०आई०एस० मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट	48.7
8.6	लेप्रोस्कोप मरम्मत हेतु बजट प्राविधान	184.1
09	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले विशेष पखवाड़े एवं सम्मान समारोह का विवरण	
9.1	विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियों	49.1/49.3/49.5
9.2	पुरुष नसबंदी दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियों	49.2/49.4/49.6
9.3	मण्डल स्तरीय परफारमेन्स रिवार्ड (सम्मान समारोह)	186.2
9.4	जनपद स्तरीय परफारमेन्स रिवार्ड (सम्मान समारोह)	186.3
10	परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली आई.ई.सी., प्रपत्र एवं रजिस्टर के मुद्रण का विवरण	50.9
10.1	IUCD/PPIUCD/PAIUCD:inset cum follow-up register MPA injectible register OCP/Chhaya register Sterilization register All method register Counselling register Sterilization Booklet Follow-up cards Pre-registration slip	50.9
10.2	पी.एन.सी. कार्ड में परिवार नियोजन कार्नेर (हैंगिंग वाल माउन्ट) की स्थापना	50.20

M

1

1

①

AS

JK

⑤

क्र0	गतिविधि	एफ0एम0आर0 कोड
10.3	मिशन परिवार विकास अभियान में प्रयोग होने वाले हैंडबिलों का मुद्रण	50.15
11	अन्य मद/गतिविधियाँ	
11.1	प्राइवेट एफ एम (FM) द्वारा प्रचार-प्रसार	50.16
11.2	आकाशवाणी (AIR)	50.17

01. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी में दी जाने वाली राशियों का विवरण –

- 1.1 सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में महिला नसबंदी (अन्तराल) हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-42.7) – प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों पर होने वाले महिला नसबंदी हेतु निम्न तालिकानुसार क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जानी है:-

(धनराशि ₹0 में)

क्र0	विवरण	महिला नसबन्दी (अन्तराल) दर (₹0 में)
1	लाभार्थी	2000.00
2	प्रेरक/आशा	300.00
3	ड्रग/ड्रेसिंग/आई0पी0 सप्लाई	100.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	200.00
5	एनेस्थेसिस्ट/सहयोगी चिकित्सक	50.00
6	नर्स/ए.एन.एम	40.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन/ सहायक/एल0टी0	20.00
8	वार्ड ब्याय/आया	12.00
9	स्वीपर	08.00
10	क्लर्क/दस्तावेजीकरण	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00
12	अन्य विविध	20.00
	कुल योग	2800.00

- 1.2 सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-42.8)- प्रदेश के समस्त सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों पर होने वाले प्रसव पश्चात् नसबन्दी हेतु निम्न तालिकानुसार क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान की जानी है:-

(धनराशि ₹0 में)

क्र0	विवरण	प्रसव पश्चात् नसबन्दी
1	लाभार्थी	3000.00
2	प्रेरक/आशा	400.00
3	ड्रग/ड्रेसिंग/आई0पी0 सप्लाई	100.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	325.00
5	एनेस्थेसिस्ट/सहयोगी चिकित्सक	75.00
6	नर्स/ए.एन.एम	50.00
7	ओ0टी0 टैक्नीशियन/ सहायक/एल0टी0	25.00
8	वार्ड ब्याय/आया	15.00
9	स्वीपर	10.00
10	क्लर्क/दस्तावेजीकरण	-
11	रिफ्रेशमेन्ट	-
12	अन्य विविध	-
	कुल योग	4000.00

- 1.3 सरकारी चिकित्सा ईकाईयों में पुरुष नसबंदी हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR-43.1) – वित्तीय वर्ष 2024-25 से सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों में पुरुष नसबंदी हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी है:-

1 1 1 1 1 1 1

(धनराशि रू० में)

क्र०	विवरण	पुरुष नसबन्दी (एन०एस०वी०)
1	लाभार्थी	3000.00
2	प्रेरक/आशा	400.00
3	ड्रग/ड्रेसिंग/आई०पी० सप्लाइ	50.00
4	सर्जन प्रोत्साहन राशि	400.00
5	एनेस्थेटिस्ट/सहयोगी चिकित्सक	—
6	नर्स/ए.एन.एम	40.00
7	ओ०टी० टैक्नीशियन/सहायक/एल०टी०	20.00
8	वार्ड ब्याय/आया	12.00
9	स्वीपर	08.00
10	क्लर्क/दस्तावेजीकरण	30.00
11	रिफ्रेशमेन्ट	20.00
12	अन्य विविध	20.00
कुल योग		4000.00

निजी चिकित्सा इकाईयों एवं कॉट हेतु—

1.4 हौसला साझीदारी योजना के अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में महिला नसबंदी अन्तराल हेतु **FMR-42.09** एवं प्रसव पश्चात हेतु **FMR-42.10** के अन्तर्गत लाभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान— वर्ष 2022-23 में संशोधित शासनादेश संख्या: 57/2022/584/पॉच-9-2022 दिनांकित 30.05.2022 के क्रम में हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में होने वाले महिला नसबंदी (अन्तराल एवं प्रसव पश्चात के अन्तर्गत महिला लाभार्थी को प्रोत्साहन धनराशि रू० 1400/- प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति से किया जाना है। प्राइवेट क्लिनिक में होने वाले महिला नसबन्दी के लाभार्थियों की क्षतिपूर्ति का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर के किया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से परिवार नियोजन के लाभार्थी का भुगतान किया जायेगा।

1.5 हौसला साझीदारी अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक/आशा को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति/प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान (**FMR-42.11**) —

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा जनपद की सरकारी चिकित्सा इकाई में नसबंदी सेवा प्रदान किये जाने पर लाभार्थी एवं प्रेरक का भुगतान उसी ब्लॉक के चिकित्सा इकाई से किया जायेगा, जहाँ पर कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हैं। साथ ही नसबंदी फॉर्म की पूर्णतया अंकित मूल बुकलेट इकाई स्तर पर संरक्षित की जायेगी। कॉट टीम द्वारा किये गये समस्त केंसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित रजिस्टर यथा— नसबंदी पैथॉलॉजी एवं ओ०टी० रजिस्टर में अवश्य किया जाये। प्रमाण पत्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत किये जायेंगे। मात्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

नोट—

- नसबन्दी लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण-पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- लाभार्थियों को परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा किये गये महिला नसबंदी हेतु लाभार्थी एवं प्रेरक को निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी है:—

f 11

h

8

(धनराशि रू० में)

क्र०	विवरण	महिला नसबंदी
		दर
1	लभार्थी	2000.00
2	प्रेरक/आशा	300.00
कुल योग		2300.00

1.6 हौसला साझीदारी अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में पुरुष नसबंदी हेतु लभार्थी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का प्राविधान (FMR - 43.3)– वर्ष 2022-23 में संशोधित शासनादेश संख्या: 57/2022/584/पॉच-9-2022 दिनांकित 30.05.2022 के क्रम में हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित निजी चिकित्सा इकाई में पुरुष नसबंदी हेतु लभार्थी को धनराशि रू० 2000/- प्रति लभार्थी का भुगतान किया जाना है। प्राइवेट क्लीनिक में होने वाले पुरुष नसबंदी के लभार्थियों की क्षतिपूर्ति का भुगतान मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर के किया जाना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से परिवार नियोजन के लभार्थी का भुगतान किया जायेगा।

1.7 हौसला साझीदारी अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा पुरुष नसबंदी हेतु लभार्थी एवं प्रेरक/आशा को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति/प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान (FMR - 43.5) –

हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा जनपद की सरकारी चिकित्सा इकाई में पुरुष नसबंदी सेवा प्रदान किये जाने पर लभार्थी एवं प्रेरक का भुगतान उसी ब्लॉक के चिकित्सा इकाई से किया जायेगा, जहाँ पर कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है। साथ ही नसबंदी फॉर्म की पूर्णतया अंकित मूल बुकलेट इकाई स्तर पर संरक्षित की जायेगी। कॉट टीम द्वारा किये गये समस्त केसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित रजिस्टर यथा- नसबंदी पैथॉलॉजी एवं ओ०टी० रजिस्टर में अवश्य किया जाये। प्रमाण पत्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत किये जायेंगे। मात्र चिकित्सा इकाई प्रभारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

नोट-

पुरुष नसबंदी लभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण-पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- लभार्थियों को परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना सम्वन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। हौसला साझीदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिप्रमाणित कॉट टीम द्वारा किये गये पुरुष नसबंदी हेतु लभार्थी एवं प्रेरक/आशा को निम्न तालिकानुसार धनराशि प्रदान की जानी है:-

(धनराशि रू० में)

क्र०	विवरण	पुरुष नसबंदी
1	लभार्थी	3000.00
2	प्रेरक/आशा	400.00
कुल योग		3400.00

1.8 महिला एवं पुरुष नसबंदी नियत दिवस सेवा (FMR- 42.16)- प्रति नियत दिवस सेवा के लिए रू० 3500.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है जिसका उपयोग एस०पी०एम०यू० कार्यालय के पत्र संख्या- एन०एच०एम०/एस०पी०एम०यू०/FDOS/196/2022-23/6142 दिनांक-24.11.2022 के द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाना है।

- नियत दिवस सेवा में महिला एवं पुरुष में नसबंदी केसों की संख्या 20 से कम होने की स्थिति में नियत दिवस सेवा नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक केसों की संख्या के आधार पर प्रति केस रू० 120.00 की दर से वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि व्यय की जा सकती है। परन्तु नियत दिवस सेवा में नसबंदी केसों की अधिकतम संख्या 30 केस तक ही सीमित है।

4 8 A 8

8

- महिला एवं पुरुष नसबन्दी नियत दिवस सेवा हेतु प्रति नियत दिवस कुल धनराशि रू0 3500.00 प्राविधानित है। जिसमें आवश्यकतानुसार कुल प्राविधानित धनराशि से क्रमशः क्वालिटी सेवा हेतु 30 प्रतिशत, मेडिसीन हेतु 40 प्रतिशत, पी0ओ0एल0 हेतु 20 प्रतिशत तथा प्रचार-प्रसार हेतु 10 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में उपरोक्त निर्धारित मदों में से 05 से 10 प्रतिशत तक का मदवार वैरियेशन करते हुए भी व्यय किया जा सकता है। कुल व्यय निर्धारित धनराशि रू0 3500.00 बजट सीमा के अन्दर ही सीमित होना चाहिए।
- जिन स्वास्थ्य इकाईयों पर हौसला साझीदारी के अन्तर्गत कॉट टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, वहाँ उस दिन दी गयी सेवाओं हेतु भी नियत सेवा दिवस मद की धनराशि रू0 3500.00, उपरोक्तानुसार व्यय की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन या सप्ताह में दो बार एफ.आर.यू./ उपजनपदीय/तहसील स्तरीय चिकित्सालयों में सप्ताह में एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पखवाड़ें में एक बार तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर माह में एक बार नियत दिवस सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- उन स्वास्थ्य केन्द्रों जहां पर प्रशिक्षित सेवाप्रदाता/सर्जन उपलब्ध है, वहाँ प्रतिदिन नसबन्दी की सेवा प्रदान की जाये।
- त्रैमासिक नियत दिवस कैलेण्डर चिकित्सा इकाई के अन्तर्गत आने वाली समस्त समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं आशा, ए0एन0एम0 व आंगनबाड़ी की संख्या के आधार पर पम्पलेट/लीफलेट में मुद्रित कराकर समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं के मध्य वितरण सुनिश्चित किया जाये।
- इच्छुक दम्पतियों का आशा के माध्यम से काउन्सलिंग कराते हुए परिवार नियोजन के स्थाई साधन महिला एवं पुरुष नसबन्दी अपनाने हेतु प्री-रजिस्ट्रेशन किया जाये। प्री-रजिस्टर्ड किये गये क्लाइन्ट की सूची को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर सूचित किया जाये, जिससे नियत सेवा दिवस की तैयारी ससमय की जा सके।
- प्री-रजिस्टर्ड किये गये क्लाइन्ट की सूची के अनुसार, जनपदीय परिवार कल्याण नोडल द्वारा नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) कैलेण्डर का निर्धारण किया जाये तथा कैलेण्डर की सूचना आशा तक उपलब्ध करायी जाये, जिससे कि आशा द्वारा प्री-रजिस्टर्ड क्लाइन्ट को उक्त एफ0डी0ओ0एस0 पर लाया जा सके।
- नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) कैलेण्डर के अनुसार सेवाप्रदाता की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये एफ0डी0ओ0एस0 कराया जाये।
- नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) की सूक्ष्म तैयारी हेतु आशा, ए0एन0एम0 व आंगनबाड़ी की बैठक में चर्चा की जाए।
- नियत सेवा दिवस (एफ0डी0ओ0एस0) के दिन समस्त केंसों का विवरण इकाई पर उपलब्ध निर्धारित नसबन्दी बुकलेट, पैथॉलॉजी एवं ओ0टी0 रजिस्टर में अवश्य किया जाये।
- नसबन्दी लाभार्थियों के समस्त रिकार्ड पूर्ण भरे व हस्ताक्षरित संरक्षित करते हुए फॉलोअप कार्ड व प्रमाण-पत्र का समय से वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- लाभार्थी से सहमति पत्र अवश्य हस्ताक्षरित कराया जाये और निर्धारित प्रारूप पर मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट भी पूर्ण भरी जाए। सेवा का लाभ लेने आये लाभार्थियों को विधि से सम्बंधित सभी पहलुओं पर पूर्ण जानकारी दी जाये और विधि के प्रभावों से भली भाँति अवगत कराया जाये। साथ ही लाभार्थियों को परिवार कल्याण क्षतिपूर्ति योजना सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। लाभार्थी की काउन्सिलिंग अवश्य करें और सम्बंधित रिकॉर्ड को रजिस्टर पर अंकित करें।
- लाभार्थी के चिकित्सालय से छुट्टी किये जाने पर फालोअप कार्ड प्रदान किया जाए। साथ ही मौखिक रूप में अवगत भी कराया जाए कि किन-किन स्थितियों में अथवा तिथियों में लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र पर फालोअप हेतु उपस्थित होना है। सेवाप्रदाता द्वारा किन्हीं परिस्थितियों में नसबन्दी की सफलता के सन्देह की स्थिति में विवरण फालोअप कार्ड, सहमति पत्र एवं मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट के आपरेटिव

12

1

12

12

12

12

12

नोट्स में अवश्य अंकित किया जाए तथा इस आशय का अंकन नसबन्दी प्रमाण पत्र में भी अवश्य किया जाए।

- पीओएल0 मद की धनराशि व्यय किये जाने की स्थिति में जनरेटर लागवुक मप्टेन की जाए।
- नियत सेवा दिवस (एफओडीओएस0) हेतु नियत दिवस कैलेण्डर त्रैमासिक तैयार कर उसकी सूचना राज्य मुख्यालय को भेजी जाये, जिससे राज्य स्तर से शिविरों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा सके।

1.9 फ़ैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी (FPIS) स्कीम (FMR- 47.1) –फ़ैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी स्कीम के अन्तर्गत नसबन्दी के पश्चात होने वाले असाफल/जटिलता/मृत्यु के केशों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु धनराशि प्राविधानित है। जो समय-समय पर राज्य स्तरीय फ़ैमिली इंडेमिनिटी उपसमिति के अनुशांसा पर सम्बन्धित जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाता है। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या: 52/2019/1115/ पांच-9-2019-9(56)/12 दिनांक 21 अगस्त 2019 के माध्यम से प्रदेश में परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत प्रदान की जा रही क्षतिपूर्ति धनराशि को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दुगुना किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

Sec.	Coverage	Compensation Package as G.O 03.07.2014, with effect from 01.04.2013	Double Compensation Package as G.O 21.8.2019with effect from 01.04.2019
		Table -A	Table -B
IA	Death following sterilization (inclusive of death during process of sterilization operation) in hospital or within 7 days from the date of discharge from the hospital.	Rs. 2,00,000.00	Rs. 4,00,000.00
IB	Death following sterilization within 8-30 days from the date of discharge from the hospital.	Rs. 50,000.00	Rs. 1,00,000
IC	Failure of Sterilization	Rs. 30,000.00	Rs. 60,000.00
ID	Cost of treatment in hospital and upto 60 days arising out of complication following sterilization operation (inclusive of complication during process of sterilization operation) from the date of discharge.	Actual not exceeding Rs 25,000.00	Actual not exceeding Rs 50,000.00
II	Indemnity per Doctor/Health Facilities but not more than 4 in a year.	Upto Rs. 2 Lakh/claim	Upto Rs.4 Lakh/claim

नोट:- समय-समय पर जनपदों द्वारा परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत किये गये क्लेम के सापेक्ष राज्य इंडेमिनिटी उप कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त दिये गये संस्तुति के आधार पर ही एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित किया जाता है। कुछ जनपदों द्वारा एन0एच0एम0 से आवंटित धनराशि का लाभार्थी को ससमय भुगतान नहीं किया जाता है और आवंटित धनराशि को कमिट भी नहीं किया जाता है जिससे लाभार्थी अथवा लाभार्थी के परिवार कोर्टकेस एवं जनसुनवाई आदि के माध्यम से शिकायत दर्ज करते हैं जिससे वाद दायर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है (ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की दशा में जनपद द्वारा लापरवाही बरतने जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद का होगा)। अतः स्पष्ट किया जाता है कि परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत एन0एच0एम0 द्वारा सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवंटित होने के उपरान्त अतिशीघ्र लाभार्थी अथवा उनके परिजनों को तुरन्त भुगतान किये जाने की कार्यवाही वित्तीय नियमानुसार किया जाए।

1.10 सर्जन टीम हेतु परिवहन व्यवस्था के लिए POL (FMR-50.22) – जनपद में नसबन्दी हेतु लगाए जाने वाले नियत दिवस सेवाओं में सर्जन टीम के आवागमन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक शिविर हेतु रु० 1000/- की दर से अतिरिक्त धनराशि पीओएल0 (परिवहन व्यवस्था) हेतु प्राविधानित है जो निम्न परिस्थितियों में दी जानी है-

- यदि सर्जन एवं टीम दोनों अलग अलग स्थान से आ रहे हों और सर्जन द्वारा स्वयं के वाहन का प्रयोग किया जा रहा है तो इस दशा में शासन द्वारा निर्धारित प्रति किलोमीटर की दर से सर्जन को भुगतान किया जाएगा। ध्यान यह देना है की भुगतान की जाने वाली राशि रु० 1000/- से अधिक न हो और वित्तीय नियमों का पालन किया गया हो।

- यदि सर्जन द्वारा नियत सेवा दिवस में आने के लिए शासकीय वाहन का प्रयोग किया जाता है तो वाहन हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था शासकीय नियमानुसार इसी मद से अधिकतम धनराशि रु0 1000/- की सीमा तक उपयोगित किया जा सकता है।
- यदि कोई सर्जन टीम अपने जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपद में नसबन्दी सेवा प्रदान करती है तो ऐसी स्थिति में जिस जनपद में सेवा प्रदान की गयी है उसी जनपद द्वारा पी0ओ0एल मद में आवंटित धनराशि से उस सर्जन टीम को पी0ओ0एल0 का भुगतान किया जायेगा।

02-परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत अस्थाई विधियों में दी जाने वाली राशियों का विवरण -

- 2.1 प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (FMR-44.5) - लाभार्थी को प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन किए जाने के पश्चात गुणवत्ता एवं फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से इन्सर्शन के पश्चात कुल रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित है। पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लाभार्थी का भुगतान जननी सुरक्षा योजना के भुगतान के साथ ही किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि लाभार्थी से पुनः खाता संख्या एवं अन्य दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर पी0पी0आई0यू0सी0डी0 विधा में प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं तथा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, केवल उन्हीं केंद्रों पर जनपद स्तर से अवमुक्त धनराशि को हस्तांतरित किया जाए।

नोट-समस्त पी0पी0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

- 2.2 गर्भसमापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (FMR-44.6) -सुरक्षित गर्भ समापन के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन किए जाने पर गुणवत्ता एवं लाभार्थी का फॉलोअप सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लाभार्थी को इन्सर्शन के पश्चात कुल रु0 300.00 प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित है।

नोट-समस्त पी0ए0आई0यू0सी0डी0 निवेशन अपनाने वाले लाभार्थी से केस शीट पर सहमति लिया जाना अनिवार्य है तथा निर्धारित फॉलोअप कार्ड भी लाभार्थी को उपलब्ध कराया जाये एवं सम्बन्धित विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाये।

- 2.3 ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों पर प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR - 186.4)- रु0 150/- प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। यदि Each one teach one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रेनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं की भूमिका लाभार्थी के 02 बार फॉलोअप (प्रथम फॉलोअप डेढ़ माह पर एवं द्वितीय फॉलोअप तीन माह पर) करना सुनिश्चित किया जाना है। जिस भी फॉसिलिटी में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 की सेवा दी जा रही है वहाँ के प्रमुख/प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिन भी सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा लाभार्थी का निर्धारित अवधि में 02 फॉलोअप अवश्य किया जाए और उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित स्थान में अवश्य ही किया जाए।

- 2.4 नगरीय सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों पर प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स/ए0एन0एम0) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR - 143.1)- रु0 150/- प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। यदि Each one teach one विधि द्वारा किसी मेडिकल ऑफिसर/स्टाफ नर्स/ए.एन.एम. को जिला अस्पताल या एफ.आर.यू. में मास्टर ट्रेनर अथवा परफार्मिंग सेवा प्रदाता द्वारा पी0पी0आई0यू0सी0डी0

M

D

①

(11)

इन्सर्शन की ट्रेनिंग कराई जाती है तो उक्त स्टाफ को ट्रेन्ड माना जाएगा एवं पी०पी०आई०यू०सी०डी० इन्सर्शन हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जाएगा। सेवा प्रदाताओं की भूमिका लाभार्थी के 02 बार फॉलोअप (प्रथम फॉलोअप डेढ़ माह पर एवं द्वितीय फॉलोअप तीन माह पर) करना सुनिश्चित किया जाना है। जिस भी फैंसिलिटी में पी०पी०आई०यू०सी०डी० की सेवा दी जा रही है वहाँ के प्रमुख/प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिन भी सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा लाभार्थी का निर्धारित अवधि में 02 फॉलोअप अवश्य किया जाए और उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित स्थान में अवश्य ही किया जाए।

- 2.5 ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी०ए०आई०यू०सी०डी०) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-186.5)- ₹0 150/- प्रति पी०ए०आई०यू०सी०डी० इन्सर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। सेवा प्रदाताओं की भूमिका लाभार्थी के दो बार फॉलोअप (प्रथम फॉलोअप डेढ़ माह पर एवं द्वितीय फॉलोअप तीन माह पर) करना सुनिश्चित किया जाना है। जिस भी फैंसिलिटी में पी०पी०आई०यू०सी०डी० की सेवा दी जा रही है वहाँ के प्रमुख/प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिन भी सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा लाभार्थी का फॉलोअप अवश्य किया जाए और उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित स्थान में अवश्य ही किया जाए।
- 2.6 नगरीय सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवा के पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी०ए०आई०यू०सी०डी०) इन्सर्शन हेतु सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स) को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-143.2)- ₹0 150/- प्रति पी०ए०आई०यू०सी०डी० इन्सर्शन की दर से कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। सेवा प्रदाताओं की भूमिका लाभार्थी के दो बार फॉलोअप (प्रथम फॉलोअप डेढ़ माह पर एवं द्वितीय फॉलोअप तीन माह पर) करना सुनिश्चित किया जाना है। जिस भी फैंसिलिटी में पी०पी०आई०यू०सी०डी० की सेवा दी जा रही है वहाँ के प्रमुख/प्रभारी को यह सुनिश्चित करना है कि जिन भी सेवा प्रदाता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है उनके द्वारा लाभार्थी का फॉलोअप अवश्य किया जाए और उसका विवरण रजिस्टर के निर्धारित स्थान में अवश्य ही किया जाए।
- 2.7 ग्रामीण सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR-186.6)- यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैं:-

- पी.पी.आई.यू.सी.डी.-किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 35 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 35 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु प्रति केस ₹0 50.00 की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाये। उदाहरणार्थ-यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते हैं जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 45 पी.पी.आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन कराया जाता है, उस स्थिति में 35 प्रतिशत से अधिक (36 से 45 केस तक अर्थात् कुल 10 केस) केस पर ₹0 50/-प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।
- प्रसव पश्चात नसबंदी सेवा:-किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर ₹0 50.00 प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि देय होगी। उदाहरणार्थ-यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते हैं जिसके सापेक्ष 25 प्रसव पश्चात नसबंदी होता है, जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 20 प्रसव पश्चात नसबंदी कराया जाता है, उस स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक (16 से 20 केस तक अर्थात् कुल 05 केस) केस पर ₹0 50/-प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

10

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

10

नोट— जनपदों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृष्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।

2.8 नगरीय सरकारी स्वास्थ्य इकाईयों पर परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन (FMR-143.3)— यह योजना संख्या आधारित है। इस योजना के तहत कार्यरत परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के मानक निम्नानुसार हैं:-

- पी.पी.आई.यू.सी.डी—किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित कर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 35 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. निवेशन करवाए जाने की स्थिति में परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 35 प्रतिशत से अधिक हुए केसों हेतु प्रति केस ₹0 50.00 की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जाये।
उदाहरणार्थ—यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते हैं जिसके सापेक्ष 50 पी.पी.आई.यू.सी.डी इन्सर्शन होता है जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 45 पी.पी.आई.यू.सी.डी इन्सर्शन कराया जाता है, उस स्थिति में 35 प्रतिशत से अधिक (36 से 45 केस तक अर्थात कुल 10 केस) केस पर ₹0 50/-प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।
- प्रसव पश्चात नसबंदी सेवा:-किसी प्रसव इकाई में किए गए कुल प्रसवों के सापेक्ष परिवार कल्याण परामर्शदात्री द्वारा प्रेरित करने पर (परामर्शदात्री के परामर्श रजिस्टर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर) 15 प्रतिशत से अधिक प्रसव पश्चात नसबंदी करवाए जाने की स्थिति में, परिवार कल्याण परामर्शदात्री को 15 प्रतिशत से अधिक हुए केस पर ₹0 50.00 प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि देय होगी।
उदाहरणार्थ—यदि किसी इकाई में एक माह में 100 प्रसव किए जाते हैं जिसके सापेक्ष 25 प्रसव पश्चात नसबंदी होती है, जिसमें से परामर्शदात्री द्वारा 20 प्रसव पश्चात नसबंदी करायी जाती है, उस स्थिति में 15 प्रतिशत से अधिक (16 से 20 केस तक अर्थात कुल 05 केस) केस पर ₹0 50/-प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि परिवार कल्याण परामर्शदात्री को देय होगी।

नोट— जनपदों की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए कि जिन परिवार कल्याण परामर्शदात्रियों द्वारा उपरोक्तानुसार उत्कृष्ट कार्य किया गया हो, उन्हें ही कार्य आधारित प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किया जाए।

2.9 अन्तरा इंजेक्शन हेतु लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि (FMR-45.3)— अन्तरा के लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि ₹0 100/- प्रति डोज, प्रति लाभार्थी की दर से धनराशि प्राविधानित की गई है।

नोट — वर्ष 2023-24 में जिन जनपदों द्वारा उक्त मद में राज्य स्तर से अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है, ऐसे जनपद वर्ष 2024-25 की आवंटित धनराशि से इस मद में वास्तविक भौतिक उपलब्धि के सापेक्ष नियमानुसार धनराशि उपयोगित कर सकते हैं।

03— परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा को प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशि का विवरण—

- 3.1 प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0पी0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन करवाने हेतु लाभार्थी को प्रेरित किए जाने पर आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-44.1)— आशा द्वारा लाभार्थी के निर्धारित अवधि में 02 फॉलोअप कराने के उपरान्त धनराशि ₹0 150/- प्रति पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि आशा को प्रदान की जानी है।
- 3.2 गर्भसमापन पश्चात आई.यू.सी.डी. (पी0ए0आई0यू0सी0डी0) इन्सर्शन हेतु आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान (FMR-44.2) —धनराशि ₹0 150/- प्रति पी0ए0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन की दर से प्रोत्साहन राशि आशा को प्रदान की जानी है।
- 3.3 अन्तरा इंजेक्शन हेतु आशाओं को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि — (FMR-45.1)— समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को अन्तरा की सेवा सुनिश्चित कराने के उपरान्त आशा हेतु ₹0 100/-प्रति डोज की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है।
- 3.4 सास-बेटा-बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-46.1)- मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में

ms

P

A

(1)

MS

(13)

समुदाय के मध्य सास-बेटा-बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सास-बेटा-बहू सम्मेलन के सफल आयोजन के पश्चात सम्बन्धित ग्रामीण आशा को उसके ब्लॉक मुख्यालय तथा शहरी आशा को एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित प्रक्रिया के माध्यम से ₹0 100/- प्रति सम्मेलन की दर से आशा हेतु धनराशि प्रदान की जानी है।

3.5 शगुन किट (पूर्व में नई पहल किट) वितरण हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि (FMR-46.2)- समस्त जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण आशाओं के माध्यम से विगत 01 वर्ष के नव विवाहित दम्पतियों को शगुन किट वितरित करने पर आशा को प्रति किट ₹0 100/- की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

3.6 इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम (ESB)

➤ इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम (ESB) के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-50.1)—विवाह के उपरांत 2 वर्षों तक अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने व प्रथम गर्भधारण में कम से कम दो वर्षों का विलम्ब सुनिश्चित कराने पर ₹0 500/- प्रति केस की दर से प्रोत्साहन राशि का प्राविधान है।

➤ इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत अस्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि (FMR-50.2)—ऐसे दम्पति जिनका 01 बच्चा है, को पहले एवं दूसरे बच्चे के जन्म में 03 वर्षों तक अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थायी विधियों का परामर्श प्रदान कर उपयोग सुनिश्चित कराने पर ₹0 500/- प्रतिकेस की दर से प्रोत्साहन राशि का प्राविधान किया गया है।

➤ इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम के तहत स्थायी विधि के अन्तर्गत आशा प्रोत्साहन राशि—(FMR-50.3)- 02 बच्चों तक परिवार सीमित रखने वाले पात्र दम्पतियों को स्थाई विधियों (महिला/पुरुष नसबन्दी) का परामर्श प्रदान कर उनके द्वारा नसबन्दी सेवा प्राप्त करने पर, ₹0 1000/- प्रति केस का भुगतान आशा को किया जाना है।

नोट— इन्श्योरिंग स्पेसिंग ऐट बर्थ स्कीम (ESB) के तहत जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वास्तविक केसों के सापेक्ष समस्त आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जाये एवं भौतिक रिपोर्ट का सत्यापन एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से मिलान करके किया जाये। इस हेतु सत्यापन की जिम्मेदारी जनपद स्तर पर जिला कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर व जनपदीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर व ब्लाक कम्युनिटी प्रासेस मैनेजर की होगी।

04—मिशन परिवार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों एवं राशि का विवरण —

4.1 नव विवाहित दम्पतियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराने हेतु शगुन किट (नई पहल किट) का क्रय (FMR-46.3) — समस्त 75 जनपदों में नव विवाहित दम्पतियों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में अवगत कराते हुये शगुन किट वितरित किया जाना है। पत्र संख्या—एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी.—एम.पी.वी./165/2022-23/4899-2, दिनांक 08.10.2022 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार अधिकतम ₹0 220.00 प्रति शगुन किट क्रय की दर से धनराशि का उपयोग किया जाना है।

नोट— शगुन किट का क्रय समय से करना अत्यंत ही आवश्यक है जिससे इसका वितरण भी समय से लाभार्थियों को किया जा सके। प्राथमिकता के आधार पर शगुन किट का क्रय DHAP के प्राप्त होने के बाद, तीन माह के अंदर अवश्य ही कर लिया जाए और अगले तीन माह के अंदर इसे आशा तक वितरित भी कर दिया जाए। शगुन किट का समय से क्रय की जाने की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक की होगी।

4.2 मिशन परिवार विकास अभियान (प्रत्येक तिमाही) (FMR-46.6)— प्रदेश के समस्त जनपदों में मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत प्रत्येक तिमाही मिशन परिवार विकास अभियान (कुल 04 अभियान) क्रमशः जुलाई 2024 (विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा के दौरान), नवम्बर 2024 (एन0एस0वी0 पखवाड़ा के दौरान), जनवरी 2025 एवं मार्च 2025 में आयोजित किए जायेंगे। मिशन परिवार विकास अभियान की सेवाप्रदायगी अधिकतम सात दिवसीय होगी। अभियान के दौरान नियत दिवसों पर शल्यकों को प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त टी0ए0/डी0ए0 के रूप में ₹0 1000.00 प्रतिदिन देय होगा। उक्त धनराशि कार्य आधारित

प्रोत्साहन है, इसलिए यह राशि तभी प्रदान की जायेगी जब चिकित्सक द्वारा न्यूनतम 10 नसबन्दी केस सफलतापूर्वक सम्पादित कर लिए जायेंगे।

- 4.3 सास-बेटा-बहू सम्मेलन का आयोजन (FMR-46.4)—मिशन परिवार विकास गतिविधि के अन्तर्गत समस्त जनपदों में प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी आशा के कार्यक्षेत्र में सास-बेटा-बहू सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। सम्मेलन का आयोजन सास, बेटा एवं बहू की उपस्थिति में किया जायेगा। परिवारों के चयन का आधार वे समस्त परिवार होंगे, जिनमें लक्ष्य दम्पति हो। उक्त कार्य हेतु आशाओं एवं ऑगनबाडी की मदद ली जाए, क्योंकि उनके पास क्षेत्र के परिवारों की समस्त जानकारी उपलब्ध रहती है। उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु प्रति सम्मेलन रु0 1500/- की दर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिनका व्यय निम्न तालिकानुसार ब्लॉक स्तर से किये जा रहे अन्य भुगतानों की भाँति नियमानुसार किया जाए—

(धनराशि रु0 में)

क्रम सं0	मद	छर
1	सास-बेटा बहू सम्मेलन के आयोजन हेतु	500.00
2	प्रतिभागी हेतु गिफ्ट	1000.00
	कुल योग	1500.00

नोट- विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के महत्व को देखते हुए सभी जनपदों को यह सुनिश्चित करना है कि पखवाड़े के दौरान प्रथम चरण में आयोजित किए जा रहे दंपति संपर्क पखवाड़े के दौरान ही शत प्रतिशत सास-बेटा-बहू सम्मेलनों का आयोजन अवश्य ही कर लिया जाए। इस हेतु कार्ययोजना बनाने की जिम्मेदारी जिलों में पदस्थ जिला परिवार नियोजन लाजीस्टिक प्रबन्धक की होगी, जिन जनपदों में लाजिस्टिक प्रबन्धक नहीं है, उन जनपदों में कार्ययोजना बनाने का कार्य जिला कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा। सास-बेटा-बहू सम्मेलनों के आयोजन के दौरान आयोजन स्थल पर निर्धारित बैनर अवश्य ही लगाया जाए एवं कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी किया जाए, जिससे जन समुदाय की प्रतिभागिता अधिक से अधिक संख्या में हो सके।

4.4 प्रचार-प्रसार वाहन "सारथी" (प्रत्येक तिमाही) (FMR-46.5) —

समस्त जनपदों में जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर एक सुसज्जित सारथी वाहन (ई रिक्शा) जो संचार एवं प्रचार प्रसार के आधुनिक साधनों से सुसज्जित हो, में परिवार नियोजन गतिविधियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रचार प्रसार तथा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। जागरूकता वाहन को विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा, पुरुष नसबन्दी पखवाड़ा एवं जनवरी 2025 के मध्य जनपदों के दूर-दराज के इलाकों में परिवार नियोजन के संदेशों को प्रसारित किए जाने और समुदायों को जागरूक/संवेदनशील बनाने हेतु उपयोगित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सारथी वाहन का संचालन एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या-एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी.-एम.पी.वी./165/2022-23/5569-2, दिनांक 04.11.2022 में प्रदत्त दिशा निर्देशों एवं निर्धारित मानक के अनुसार संचालन तथा धनराशि का उपयोग किया जाना है। जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सारथी वाहन के संचालन हेतु प्रत्येक जनपद को प्रत्येक चरण हेतु निम्न तालिकानुसार धनराशि प्राविधानित है:-

(अ) जनपद स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान — समस्त जनपद				
अभियान की संख्या	कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा)	कुल कार्यदिवस	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि रु0 में
3	2	4	2000	48000.00
प्रति चरण हेतु आबंटित धनराशि				16000.00
(ब) ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान— समस्त जनपद				
अभियान की संख्या	कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा)	कुल कार्यदिवस	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि रु0 में
3	3	4	2000	72000.00
प्रति चरण हेतु आबंटित धनराशि				24000.00

M

P

F

Q

Handwritten signature

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के चिन्हित 10 जनपदों के नगरीय स्लम क्षेत्रों हेतु सारथी वाहन का प्राविधान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

(स) स्लम स्तर पर प्रत्येक चरण हेतु सारथी वाहन के संचालन हेतु वित्तीय प्राविधान				
अभियान की संख्या	कुल सारथी वाहन की संख्या (ई रिक्शा) प्रति त्रैमास	कुल कार्यदिवस प्रति त्रैमास	प्रति वाहन दर	कुल धनराशि रु० में
3	15	4	2000	360000.00
जनपदवार स्लम स्तर पर चलने वाले सारथी वाहन की संख्या				
क्रम संख्या	जनपद का नाम	जनपद वार ई रिक्शा की संख्या प्रति त्रैमास	जनपद वार एक मुश्त कुल धनराशि रु० में	
1	आगरा	2	48000.00	
2	अलीगढ़	2	48000.00	
3	बरेली	1	24000.00	
4	अयोध्या	2	48000.00	
5	फर्रुखाबाद	1	24000.00	
6	फिरोजाबाद	1	24000.00	
7	गौतम बुद्ध नगर	3	72000.00	
8	गाजियाबाद	1	24000.00	
9	गोरखपुर	1	24000.00	
10	हरदोई	1	24000.00	

5- परिवार नियोजन सेवाओं संबंधी सामग्री के भंडारण एवं वितरण सम्बंधी विवरण-

5.1 परिवार नियोजन सेवाओं सम्बंधी सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुंचाने हेतु यात्रा व्यय- परिवार नियोजन सेवाओं सम्बंधी समस्त सामग्रियों को राज्य औषधि भण्डारण गृह से मण्डल, जनपद एवं ब्लाक के औषधि भण्डारण गृह तक पहुंचाने हेतु बजट का प्राविधान किया गया है। प्राविधानित बजट से, समस्त 18 मण्डलीय भण्डारण गृह एफ0पी0-एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार राज्य मुख्यालय के परिवार नियोजन सामग्री सम्बन्धित भण्डार गृह से प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार समस्त 75 जनपद सम्बन्धित मण्डल मुख्यालय के भण्डार गृह से तथा जनपद के समस्त चिकित्सा ईकाईयों जनपद भण्डार गृह से एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये गये इन्डेण्ट अनुसार परिवार नियोजन सेवाओं सम्बंधी सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जनपदों का दायित्व होगा कि इसी मद का उपयोग करते हुए समस्त ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों पर ब्लाक के समस्त प्राथमिक (ग्रामीण व शहरी) स्वास्थ्य केन्द्रों व उपकेन्द्रों हेतु परिवार नियोजन सेवाओं सम्बंधी सामग्रियों का आपूर्ति एवं वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही आवंटित धनराशि वित्तीय व शासकीय नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि में समस्त प्रकार के टैक्स आदि सम्मिलित हैं। इस हेतु विभिन्न औषधि भण्डार गृह हेतु निम्नानुसार बजट का प्राविधान किया गया है-

16

- मण्डलीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-48.3) एकमुश्त धनराशि रू0 1.75 लाख प्रति वर्ष।
- जनपदीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-48.4) एकमुश्त धनराशि रू0 84,000/- प्रति वर्ष।
- ब्लाक स्तरीय औषधि भण्डारण गृह हेतु (FMR-48.5) एकमुश्त धनराशि रू0 5,250/- प्रति वर्ष

6- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों का विवरण -

6.1 लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण-(FMR -42.2) वर्ष 2024-25 में 12 दिवसीय लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्साधिकारी एवं 04 स्टाफनर्स/ओ.टी.टेक्निशियन को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में कुल 43 बैच आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दिया गया है। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैचवार धनराशि रू0 216070/- प्राविधानित है, जो निम्न तालिकानुसार है:-

Laparoscopic Tubectomy Induction Training					
Duration of Training	12 working days for doctors & 6 working days for SN				
Number of trainees	4 Doctors & 4 Staff Nurse/OT Technician				
Trainers	2 Doctor trainers & 1 SN trainer				
S.N	Budget Head	Rate	No. of Participants	Days	Total (Rs.)
1	TA - Mos	2000	4	1	8000
2	TA - SN/ OT Technician	1500	4	1	6000
3	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	12	24000
3	Honorarium per diem to trainer - SN	500	1	6	3000
4	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	12	24000
5	Honorarium per diem to participants - SNs/OT Technician	300	4	6	7200
6	Accommodation to participants - Mos	1500	4	12	72000
7	Accommodation to participants - SNs/OT Technician	1000	4	6	24000
8	Refreshment to Doctors trainees	250	4	12	12000
9	Refreshment to participants - 2 SNs/OT Technician	250	4	6	6000
10	Refreshment to trainers	250	2 MO Trainer	12	6000
			1 SN trainer	6	1500
11	Stationary including certificate	150	8	1	1200
12	Training Manual	350	8	1	2800
Sub total					197700
13	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				18370
Total for 01 Batch					216070

6.2 लैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण-(FMR -42.1) - वर्ष 2024-25 में 3 दिवसीय लैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक बैच में 03 चिकित्साधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में कुल 17 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैचवार धनराशि रू0 62145/- प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार है:-

Laparoscopic Tubectomy Refresher Training	
Site of training	Medical Collage/District hospital/FRU CHC
Duration of Training	03 working days
Number of trainees	3 Doctors & 3 Staff Nurse/OT Technician

M

A

K

Q

M

J

Trainers		2 Doctor trainers & 1 SN trainer			
S.N	Budget Head	Rate	No. of Participants	Days	Total (Rs.)
1	TA – Mos (As per Norms) *	2000	3	1	6000
2	TA – SN/ OT Technician (As per Norms) *	1500	3	1	4500
3	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	3	6000
4	Honorarium per diem to trainer – SN	500	1	3	1500
5	Honorarium per diem to participants – Mos	500	3	3	4500
6	Honorarium per diem to participants - SNs/OT Technician	300	3	3	2700
7	Accommodation to participants – Mos (As per Actual)	1500	3	3	13500
8	Accommodation to participants - SNs/OT Technician (As per Actual)	1000	3	3	9000
9	Refreshment to Doctors trainees	250	3	3	2250
10	Refreshment to participants - SNs/OT Technician	250	3	3	2250
11	Refreshment to trainers	250	3	3	2250
12	Stationary including certificate	150	6	1	900
13	Training Manual	350	6	1	2100
Sub total					57450
14	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				4695
Total for 01 Batch					62145

6.3 मिनि लैप इन्डक्शन प्रशिक्षण-(FMR-42.4)- वर्ष 2024-25 में 12 दिवसीय मिनीलैप इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में कुल 17 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैचवार धनराशि रू० 162000/- प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार है:-

Minilap Induction Training					
Site of training		Medical college/District hospital/FRU CHC			
Duration of Training		12 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of participants	Days	Total (Rs.)
1	TA – Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	12	24000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	12	24000
4	Accommodation to participants – Mos	1500	4	12	72000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	12	12000
6	Refreshment to trainers	250	2	12	6000
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400

Minilap Induction Training			
Site of training	Medical college/District hospital/FRU CHC		
Duration of Training	12 working days for doctors		
Number of trainees	4 Doctors		
Trainers	2 trainers		
	Sub total		148000
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA		14000
Total for 01 Batch			162000

6.4 मिनि लैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण-(FMR-42.3)- वर्ष 2024-25 में 3 दिवसीय मिनीलैप रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में कुल 25 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैचवार धनराशि रू0 48150/- प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार है:-

Minilap Refresher Training					
Site of training		Medical college/District hospital/FRU CHC			
Duration of Training		03 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of participants	Days	Total (Rs.)
1	TA - Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	3	6000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	3	6000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	4	3	18000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	3	3000
6	Refreshment to trainers	250	2	3	1500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
Sub total					44500
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				3650
Total					48150

6.5 लैप/मिनि लैप मास्टर ट्रेनर (ToT) प्रशिक्षण-(FMR-42.5) वर्ष 2024-25 में 3 दिवसीय लैप मास्टर ट्रेनर (ToT) प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्साधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में कुल 18 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैचवार धनराशि रू0 48150/-प्राविधानित है, जो निम्न तालिकानुसार है:-

Laparoscopic/Mini LAP Master Trainer Training (ToT)					
Site of training		Medical Colleges			
Duration of Training		03 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of participants	Days	Total (Rs.)
1	TA - Mos	2000	4	1	8000

m

1

A

①

m

J N

19

Laparoscopic/Mini LAP Master Trainer Training (ToT)					
Site of training		Medical Colleges			
Duration of Training		03 working days for doctors			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of participants	Days	Total (Rs.)
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	3	6000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	3	6000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	4	3	18000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	3	3000
6	Refreshment to trainers	250	2	3	1500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
Sub total					44500
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				3650
Total					48150

6.6 पुरुष नसबंदी (NSV) इन्डक्शन प्रशिक्षण-(FMR-43.7)- वर्ष 2024-25 में 05 दिवसीय पुरुष नसबंदी (NSV) इन्डक्शन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में कुल 06 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैचवार धनराशि ₹0 73450/- प्राविधानित है, जो निम्न तालिकानुसार है:-

NSV Induction Training -FY 2024-25					
Site of training		As per the table attached in the annexure			
Duration of Training		05 working days			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 Doctor trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of Participants	Days	Total (Rs.)
1	TA - Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer - Doctor	1000	2	5	10000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	5	10000
4	Accommodation to participants - Mos	1500	4	5	30000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	5	5000
6	Refreshment to trainers	250	2	5	2500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
Sub total					67500
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				5950
Total for 01 Batch					73450

6.7 पुरुष नसबंदी (NSV) रिफ्रेशर प्रशिक्षण-(FMR-43.8)- वर्ष 2024-25 में 03 दिवसीय पुरुष नसबंदी (NSV) रिफ्रेशर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 04 चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में कुल 04 बैच आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैचवार धनराशि ₹0 48150/- प्राविधानित है, जो निम्न तालिकानुसार है:-

NSV Refresher Training -FY 2024-25					
Site of training		As per the table attached in the annexure			
Duration of Training		03 working days			
Number of trainees		4 Doctors			
Trainers		2 Doctor trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of Participants	Days	Total (Rs.)
1	TA – Mos	2000	4	1	8000
2	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	3	6000
3	Honorarium per diem to participants - MOs	500	4	3	6000
4	Accommodation to participants – Mos	1500	4	3	18000
5	Refreshment to Doctors trainees	250	4	3	3000
6	Refreshment to trainers	250	2	3	1500
7	Stationary including certificate	150	4	1	600
8	Training Manual	350	4	1	1400
Subtotal					44500
Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA					3650
Total for 01 Batch					48150

6.8 कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी-पीपीआईआईयूसीडी प्रशिक्षण (CHOs/SNs/ANMs हेतु)(FMR- 44.3)- वर्ष 2024-25 में 05 दिवसीय कम्प्रहेन्सिव प्रसव पश्चात आई.यू.सी.डी.पीपीआईआईयूसीडी प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है जिसमें प्रत्येक बैच में 10 CHOs/SNs/ANMs को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। वर्ष 2024-25 में कुल 50 बैच किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दिया गया है।

उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति बैचवार धनराशि रू0 121650/- प्राविधानित है जो निम्न तालिकानुसार है:-

Comprehensive IUCD - PPIUCD for CHOs/SNs/ANMs					
Site of training		Divisions HQ DWH			
Duration of Training		5 days			
Number of trainees		10 CHOs/SNs/ANMs			
Number of trainers		2 Trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of Participants	Days	Total (Rs.)
1	TA - CHOs/SNs/ANMs	1000	10	1	10000
3	Honorarium per diem to trainer -Doctors	1000	2	5	10000
4	Honorarium per diem to participants - CHOs/SNs/ANMs	300	10	5	15000
6	Accommodation to participants - CHOs/SNs/ANMs	1000	10	5	50000
8	Refreshment to CHOs/SNs/ANMs	250	10	5	12500
9	Refreshment to trainers	250	2	5	2500
10	Stationary including certificate	150	10	1	1500
11	Training Manual, training aids & Kelly forceps	1000	10	1	10000
Sub total					111500
Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA					10150
Total for 01 Batch					121650

नोट- विभिन्न क्लीनिकल परिवार नियोजन सम्बन्धित प्रशिक्षण (उक्त तालिका के अनुसार) हेतु बजट सम्बन्धित प्रशिक्षण स्थल यथा- मेडिकल कालेज एवं जिला महिला चिकित्सालय के प्रभारी को सम्बन्धित जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्राविधानित धनराशि एक मुश्त आवंटित की जाएगी।

6.9 गर्भनिरोधक इन्जेक्शन अन्तरा पर SNs/ANMs का दो दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण-(FMR-45.2)- प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त चिकित्सा इकाईयों पर पदस्थ SNs/ANMs को 02 दिवसीय क्षमतावर्धन प्रशिक्षण

Rm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भनिरोधक अंतरा छाया माला-एन, ईसीपी (OCP मैनुअल) के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में कुल 50 बैच आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जनपदवार बैचों की संख्या संलग्नक के माध्यम से दी गयी है। उक्त प्रशिक्षण हेतु जनपदों को प्रति बैचवार धनराशि **₹ 107000/-** निम्नानुसार प्राविधानित की जा रही है:-

Antara+ COCs Training for SNs/ANMs					
Site of training		As per the table attached in the annexure			
Duration of Training		2 days			
Number of trainees		20 SNs/ANMs			
Number of trainers		2 Trainers			
S.N	Budget Head	Rate	No. of Participants	Days	Total (Rs.)
1	TA - SNs/ANMs	1500	20	1	30000
2	Honorarium per diem to trainer – Doctor	1000	2	2	4000
3	Honorarium per diem to participants -SNs/ANMs	300	20	2	12000
4	Accommodation to participants -SNs/ANMs	1000	20	2	40000
5	Refreshment to SNs/ANMs	250	20	2	10000
6	Refreshment to trainers	250	2	2	1000
7	Stationary including certificate	150	20	1	3000
Sub total					100000
8	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				7000
Total for 01 Batch					107000

6.10 Integrated counselling training on GOI manual (6 days) (FMR -50.6)- विदित है कि परिवार नियोजन एक व्यापक RMNCAH+N रणनीति की आधारशिला है। सतत विकास लक्ष्य SDG-3 जो परिवार नियोजन सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सर्वभौमिक पहुंच पर जोर देता है, को 2030 तक साकार करने के लिए परिवार नियोजन सेवाएँ अनिवार्य हैं। गुणवत्ता परक परिवार नियोजन सेवाओं व जानकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करके, हम बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। वर्तमान में कुछ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर RMNCHA+N और AFHC परामर्शदाता उपलब्ध हैं जो महिलाओं/दम्पतियों तथा युवाओं को गर्भनिरोधक परामर्श प्रदान करते हैं। इसके अलावा राज्य में पर्याप्त संख्या में आईसीटीसी काउंसलर भी हैं, जिनका RMNCHA+N से सम्बन्धित पहलुओं पर क्षमता वर्धन किया जा सकता है ताकि वे भी महिलाओं/दम्पतियों को परिवार नियोजन संबन्धित आवश्यक जानकारी और परामर्श प्रदान कर सकें। वर्तमान में राज्य भर में विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर उपरोक्त तीनों श्रेणी में कुल 1369 (252-RMNCHA, 186-Lactation counsellor, 435-AFHC, 496 ICTC) परामर्शदाता के पद रवीकृत हैं। गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि सभी श्रेणी के परामर्शदाताओं का क्षमता वर्धन किया जाए, जिससे उनके द्वारा समुदाय में महिलाओं/दम्पतियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप गर्भ निरोधक साधनों पर जानकारी दे कर उन्हें उनके पसंद के साधन को चुनने में समर्थ बनाया जा सके एवं साथ ही लाभार्थी द्वारा चुने गए गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग की निरंतरता में भी सुधार लाया जा सकेगा। यह प्रशिक्षण राज्य स्तर द्वारा संपादित किया जाएगा।

नोट- परिवार नियोजन से सम्बन्धित समस्त प्रशिक्षण में यू0पी0टी0एस0यू0 के द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

15

M S N

(22)

07-परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठकों का विवरण -

7.1 समस्त जनपदों के ग्रामीण ए.एन.एम. का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-50.4)- प्रदेश के 75 जनपदों के प्रत्येक ब्लॉक पर ए0एन0एम0 के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनों एवं एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा भी की जायेगी। उक्त बैठकों का उद्देश्य ए.एन.एम. कार्यकर्त्रियों द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनों की ग्राह्यता बढ़ाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकर्त्रियों का क्षमतावर्द्धन, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियों प्रदान करके क्षमता वर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। इन बैठकों में बी.सी.पी.एम. द्वारा नसबंदी, अंतरा एवं पी.पी.आई.यू.सी.डी. साधनों में शून्य प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाली आशाओं के नाम सभी ए.एन.एम. को नोट कराने है जिससे सम्बन्धित आशा से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहन राशि लेने के लिए प्रेरित किया जा सकें। इन बैठकों में नसबंदी, अंतरा एवं पी.पी.आई.यू.सी.डी. में सर्वाधिक आशा भुगतान प्राप्त करने वाली ए.एन.एम.को सम्मानित भी करना है, जिससे एक स्वस्थ प्रतियोगिता की शुरुआत हो सके। बैठक हेतु प्रति ब्लॉक प्रति त्रैमास अधिकतम रू0 1000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है, जो निम्न तालिकानुसार व्यय किया जाना है:-

क्र0	व्यय	कुल अधिकतम व्यय (रू0 में)
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि	रू0 1,000.00

7.2 समस्त जनपदों के शहरी ए0एन0एम0 व आशा का त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक (FMR-50.5)- प्रदेश के 75 जनपदों के शहरी ए.एन.एम. व आशा के क्षमता वर्धन हेतु त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठकें आयोजित की जानी है, जिसमें नवीन गर्भनिरोधक साधनों एवं एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 के सन्दर्भ में अभिमुखीकरण तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों का समीक्षा भी किया जायेगा। सभी शहरी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शहरी आशा एवं ए0एन0एम0 द्वारा समुदाय को विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जागरूक किये जाने, समुदाय में गर्भनिरोधक साधनों की ग्राह्यता बढ़ाने, समुदाय की जिज्ञासा को उत्तरित किये जाने, कार्यकर्त्रियों का क्षमतावर्द्धन करना, किए गये कार्यों का मूल्यांकन एवं उनकी कमियों को दूर करना है। साथ ही कार्यक्षेत्र के लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन सेवायें प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु एवं काउन्सलिंग की आधारभूत जानकारियों प्रदान करके क्षमतावर्धन भी किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर लक्ष्य दम्पतियों को परिवार नियोजन साधनों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। आशाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रोत्साहन राशियों के बारे में जागरूक किया जाना भी इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। इन बैठकों में सी.सी.पी.एम. द्वारा नसबंदी, अंतरा एवं पी.पी.आई.यू.सी.डी. साधनों में शून्य प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाली आशाओं के नाम सभी ए.एन.एम. को नोट कराने है, जिससे संबन्धित आशा से चर्चा कर उन्हें प्रोत्साहन राशि लेने के लिए प्रेरित किया जा सकें। इन बैठकों में नसबंदी, अंतरा एवं पी.पी.आई.यू.सी.डी. में सर्वाधिक आशा भुगतान प्राप्त करने वाली ए.एन.एम.को सम्मानित भी करना है जिससे एक स्वस्थ प्रतियोगिता की शुरुआत हो सके। बैठक हेतु प्रति नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र प्रति त्रैमास अधिकतम रू0 250.00 की दर से प्रति बैठक धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है। इस गतिविधि के ससमय सम्पादन की जिम्मेदारी अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर की होगी। उक्त बैठक के आयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

1/1

f

(6)

h

g

w

क्र०	मद	कुल अधिकतम व्यय
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु बैठक व्यवस्था, स्टेशनरी एवं जलपान आदि	रु० 250.00

7.3 मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (FMR-50.26) वर्ष 2024-25 में मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु 04 समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मण्डल के समस्त जनपदों के परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपकेन्द्र स्तर तक के समस्त शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य इकाईयों की भौतिक प्रगति, सेवाप्रदाताओं के भौतिक उपलब्धि ऑकलन, एफ०पी०-एल०एम०आई०एस० पोर्टल के क्रियान्वयन की स्थिति, मिशन परिवार विकास गतिविधि की भौतिक प्रगति, विभिन्न मुद्रित कराये जाने वाले सामग्रियों के क्रय की स्थिति, आशा एवं लाभार्थियों के भुगतान, गर्भनिरोधक सामग्रियों की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रगति आदि विषयों पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वह त्रैमासिक आधार पर मण्डलीय अपर निदेशक के अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में मण्डल के समस्त जनपदों के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ०पी०-एल०एम०आई०एस० मैनेजर्स, मण्डलीय एवं जनपदीय एन०यू०एच०एम० कोआर्डिनेटर महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी०एस०यू०) आदि प्रतिभाग करेंगे। सम्बन्धित मण्डल के जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय मुख्यालय को एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जाएगी। उक्त बैठक के आयोजन हेतु प्रति तिमाही प्रति मण्डल धनराशि रु० 5,000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

क्र०	मद	कुल अधिकतम व्यय (रु० में)
1	उपस्थित प्रतिभागियों हेतु जलपान आदि	रु० 3,500.00
2	बैठक, व्यवस्था, ईन्टर, स्टेशनरी	रु० 1,000.00
3	अन्य	रु० 500.00

7.4 क्षेत्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (FMR-50.29)- परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु प्रदेश में वर्ष 2024-25 में क्षेत्रीय स्तर पर - झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, एवं वाराणसी में कुल 06 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा। मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि वो जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के समन्वयन से उक्त समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोडल आफिसर (परिवार कल्याण), मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबन्धक, मण्डलीय एवं जनपदीय एफ०पी०-एल०एम०आई०एस० मैनेजर्स, मण्डलीय एवं जनपदीय एन०यू०एच०एम० कोआर्डिनेटर महिला चिकित्सालय के हॉस्पिटल मैनेजर एवं जिला फैमिली प्लानिंग स्पेशलिस्ट (टी०एस०यू०) प्रतिभाग करेंगे। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियों के द्वारा इकाईवार, विधिवार सेवाप्रदातावार उपलब्धि की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता एवं वित्तीय प्रगति आदि की समीक्षा की जायेगी। क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय मुख्यालय के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रु० 1,25,000.00 प्रति समीक्षा बैठक की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

नोट- बैठक के निर्धारण की तिथि की सूचना राज्य स्तर से पृथक से दी जायेगी।

मण्डल स्तर पर आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों की प्रस्तावित समय सारणी

समीक्षा बैठक का नाम	
परामर्शदाताओं (RMNCHA+ARSH+ICTC) का मण्डल स्तरीय त्रैमासिक अभिमुखीकरण/समीक्षा बैठक हेतु वर्ष 2024-25 में निर्धारित माह	मण्डल स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हेतु वर्ष 2024-25 में निर्धारित माह
मई, अगस्त, नवम्बर एवं फरवरी	जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च

08- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिये जाने वाले मानदेय/मैनेजमेंट कॉस्ट का विवरण -

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- 8.1 परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु मानदेय (FMR-HSS.9.185.C.S0522)—कार्यरत परिवार नियोजन परामर्शदात्रियों हेतु 12 माह (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) हेतु ई0पी0एफ0, मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।
- 8.2 मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर का मानदेय (FMR-185.C.S1109)— मण्डल स्तर पर कार्यरत संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु 12 माह (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) हेतु मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस हेतु सम्बन्धित मण्डलीय जनपद के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में बजट का प्राविधान किया गया है। सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0 के खाते में बजट अवमुक्त किये जाने के उपरान्त मण्डलीय अपर निदेशक के स्तर से मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत अन्य एन0एच0एम0 के संविदा कर्मियों की भौति भुगतान किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।
- 8.3 मण्डल स्तर पर तैनात संविदा मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट— (FMR-48.6)— मण्डलीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अनुश्रवण, सपोर्टिव सुपरविजन, हैंड होल्डिंग, प्रशिक्षण तथा राज्य मुख्यालय पर बैठकों आदि में प्रतिभाग करने हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं बोर्डिंग लॉजिंग का भुगतान एवं अन्य विविध व्यय का भुगतान मैनेजमेंट कास्ट से किया जायेगा, जिसमें धनराशि रू0 12500/- प्रति माह की दर से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या-एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी-रिकू0/142/2022-23/6828-2, दिनांक 19.12.2022 में प्रेषित विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जाना है।
- 8.4 जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मानदेय मद का व्यय— (FMR-185.C.S1110) जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर हेतु 12 माह (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) हेतु मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव संसाधन नीति, एन0एच0एम0, उ0प्र0 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही वेतन वृद्धि प्रदान की जाए।
- 8.5 जनपद स्तर पर तैनात संविदा जिला एफ0पी0 एण्ड एल0एम0आई0एस0 मैनेजर हेतु मैनेजमेंट कॉस्ट— (FMR-48.7)— जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर द्वारा अपने जनपद के विकास खण्डों में अनुश्रवण, सपोर्टिव सुपरविजन, हैंड होल्डिंग, प्रशिक्षण तथा राज्य मुख्यालय पर बैठकों आदि में प्रतिभाग करने हेतु पी0ओ0एल0, यात्रा भत्ता, टी0ए0/डी0ए0 एवं बोर्डिंग लॉजिंग का भुगतान एवं अन्य विविध व्यय का भुगतान मैनेजमेंट कास्ट से किया जायेगा। जिसमें धनराशि रू0 10416/- प्रति माह की दर से एस0पी0एम0यू0 कार्यालय के पत्र संख्या-एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.पी-रिकू0/142/2022-23/6828-2, दिनांक 19.12.2022 में प्रेषित विस्तृत दिशा निर्देश के अनुसार धनराशि का उपयोग किया जाना है।
- 8.6 लेप्रोस्कोप मरम्मत हेतु बजट प्राविधान—(FMR-184.1) - वर्ष 2024-25 में लेप्रोस्कोप के मरम्मत हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त धनराशि के माध्यम से जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत योग्य लेप्रोस्कोप को वास्तविक व्यय के आधार पर नियमानुसार धनराशि उपयोगित किया जाना है। इस मद में धनराशि का प्राविधान सम्बन्धित जनपदों को Lum Sum किया गया है। परन्तु प्रति लेप्रोस्कोप के मरम्मत हेतु अधिकतम धनराशि रू0 50,000.00 से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोट— जिन जनपदों में लेप्रोस्कोपिक विधा से नसबन्दी का प्रचलन है, उन्हीं जनपदों हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है।

09— परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले विशेष पखवाड़े एवं सम्मान समारोह का विवरण—

9.1 विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियाँ -

(FMR-49.1)—विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 80,000.00 एवं प्रति ब्लाक रू0 9,000.00।

My

8

4

8

8

8

(FMR-49.3)—जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 20,000.00।

(FMR-49.5)—ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00।

9.2 पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा आयोजन से सम्बंधित गतिविधियाँ—

(FMR-49.2)—पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रति जनपद रू0 20,000.00 एवं प्रति ब्लाक रू0 9,000.00।

(FMR-RCH.49.4)— पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के दौरान जनपद स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति जनपद रू0 5,000.00।

(FMR-49.6)— पुरुष नसबन्दी दिवस पखवाड़ा के दौरान ब्लाक स्तर पर आयोजित गतिविधियों की मानीटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट के लिए प्रति ब्लाक रू0 1,000.00।

9.3 मण्डल स्तरीय परफार्मेन्स रिवार्ड (सम्मान समारोह)— (FMR-186.2)—वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिवार नियोजन की विभिन्न विधाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवाप्रदाता तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा के दौरान परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक, स्टॉफ नर्स) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (एल0एच0वी0, ए0एन0एम0 सी0एच0ओ, परिवार नियोजन परामर्शदाता एवं आशा) को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन मण्डल स्तर पर किया जाना है। इस हेतु प्रति मण्डल रू0 1.00 लाख की दर से मण्डलीय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपलब्ध कराये गये बजट में से वेन्यू खर्च, बैनर, लंच एवं स्वल्पाहार, सम्मानित किये जाने वाले प्रतिभागियों को प्रदान किये जाने वाले प्रतीक चिन्हों, प्रशस्ति पत्र, फोटोग्राफी तथा अन्य विविध व्यय आदि में किया जा सकेगा। पुरस्कार के लिए नाम चयनित करते समय किसी मान्य एवं प्रामाणिक स्रोत (जैसे-एच0एम0आई0एस0, ई-कवच, बी0सी0पीएम0 एम0आई0एस0, मंत्रा ऐप आदि) का संज्ञान अवश्य ही लिया जाए। मण्डल स्तरीय सम्मान समारोह को समय से कराने की जिम्मेदारी मंडलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं मंडलीय लॉजीस्टिक प्रबन्धक की होगी। सम्मान समारोह का आयोजन विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के समापन के उपरांत (15 कार्य दिवस के अंदर) किया जाए। सम्मान समारोह का समय से आयोजित करने से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के बचे हुए दिनों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

9.4 जनपद स्तरीय परफार्मेन्स रिवार्ड (सम्मान समारोह) (FMR-186.3)— वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान परिवार नियोजन की विभिन्न विधाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवाप्रदाता तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के विश्व जनसंख्या दिवस पखवाड़ा के दौरान परिवार नियोजन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सेवा प्रदाताओं (चिकित्सक, स्टॉफ नर्स) तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं (एल0एच0वी0, ए0एन0एम0 सी0एच0ओ, परिवार नियोजन परामर्शदाता एवं आशा) को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन जनपद स्तर पर किया जाना है। इस हेतु प्रति जनपद रू0 30,000.00 की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। उपलब्ध कराये गये बजट में से वेन्यू खर्च, बैनर, लंच एवं स्वल्पाहार, सम्मानित किये जाने वाले प्रतिभागियों का प्रदान किये जाने वाले प्रतीक चिन्हों, प्रशस्ति पत्र, फोटोग्राफी तथा अन्य विविध व्यय आदि में किया जा सकेगा। पुरस्कार के लिए नाम चयनित करते समय किसी मान्य एवं प्रामाणिक स्रोत (जैसे-एच0एम0आई0एस0, ई-कवच, बी0सी0पीएम0 एम0आई0एस0, मंत्रा ऐप आदि) का संज्ञान अवश्य ही लिया जाए। जनपद स्तरीय सम्मान समारोह को समय से कराने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं एवं जिला लॉजिस्टिक प्रबन्धक की होगी। सम्मान समारोह का आयोजन विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के समापन के उपरांत (15 कार्य दिवस के अंदर) किया जाए। सम्मान समारोह को समय से आयोजित करने से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा और इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के बचे हुए दिनों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

10- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली आई.ई.सी., प्रपत्र एवं रजिस्टर के मुद्रण का विवरण -

10.1 परिवार नियोजन प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (FMR-50.9)- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग में आने वाले विभिन्न मैनुअल/प्रपत्र/रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रेषित बजट फॉट में दिए गए विवरण के अनुसार निम्नानुसार व्यय की जानी है:-

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SN	Particulars	Pages				
		MC	DH/ DWH/DC H	CHC/UCH C/BPHC	UPHC/PH C	HSC
1	Sterilization Register for MC,DH,CHC	120	120	120	0	0
2	PPIUCD/IUCD/PAIUCD Registration cum Follow up Registers for (all MC,DH, CHC, UCHC)	120	120	100	60	60
3	DIMPA/Antara Injectable Registration cum Follow up Registers for (all MC,DH, CHC,UCHC)	100	100	100	60	40
4	OCP Register for registration of Mala N, Chhaya, CC, ECP clients (all MC, DH, CHC, UCHC)	100	100	100	70	0
5	Integrated register for reporting of all method/integrated FP register (all SC)	0	0	0	0	120
6	Counsellor Register (3/counsellors (120 pages), 1/AFHC (120 pages)counsellor)	120	120	120	0	0
7	Booklet for different forms of sterilization cases (Sterilization case sheet) -Public Sector and Private Sector in facilities providing FDS& FDOS services, distribution as per last year performance	As per specimen copy provided.				
8	PPIUCD/PAIUCD/IUCD Follow up card	As per specimen copy provided.				
9	Pre-registration slip for ASHAs	As per specimen copy provided.				
10	Injectable Registration cum Follow- up Cards	As per specimen copy provided.				

शासकीय एवं वित्तीय क्रय नियमों का पालन करते हुए उक्त सामग्रियों का मुद्रण धनराशि प्राप्त होते ही निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कराया जाए। यह अवश्य ही सुनिश्चित करना है कि किसी भी दशा में निर्धारित रजिस्टर एवं प्रपत्र स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध रहे और उनका समुचित प्रयोग एवं अंकन किया जा रहा हो।

10.2 पी.एन.सी. वार्ड में परिवार नियोजन कॉर्नर (हैंगिंग वाल माउन्ट) की स्थापना (FMR-50.20) – संस्थागत प्रसव सेवाएँ, परिवार नियोजन (एफ.पी.) की जानकारी और सेवाओं तक पहुँचने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती हैं। इसी संदर्भ में पीएनसी वार्ड में एक परिवार नियोजन कॉर्नर (हैंगिंग वाल माउन्ट) विकसित करना प्रस्तावित है, जो परिवार नियोजन संबंधित पोस्टर, परामर्श कार्ड, "बास्केट ऑफ च्वाइस" तथा एम.ई.सी. व्हील (चिकित्सा पात्रता मानदंड) सामग्री से सुसज्जित होगा। इसके उपयोग द्वारा सेवा प्रदाता प्रसवोत्तर माताओं व उनके परिवारजनों को गर्भनिरोधक साधनों के उपयोग तथा प्रसव पश्चात प्रजनन क्षमता की वापसी पर जानकारी दे पाएंगे। साथ ही पीएनसी वार्ड में भर्ती महिलाएं व उनके परिवारजन इसके माध्यम से स्वयं भी जागरूक हो पाएंगे। यह परिवार नियोजन के संदर्भ में वन-स्टॉप प्वाइंट के रूप में कार्य करेगा।

भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सभी परिवार नियोजन साधनों एवं संबंधित विभिन्न सूचना सामग्रियों को प्रसव पश्चात महिलाओं तथा योग्य लाभार्थियों की जानकारी हेतु पीएनसी वार्ड में उपयुक्त स्थान/दीवार पर लगाना प्रस्तावित है, जिसके लिए एक एफ.पी. कॉर्नर (हैंगिंग वाल माउन्ट) पीएनसी वार्ड में लगाने का प्रावधान है, जिसमें रैक भी होगा ताकि उसमें परिवार नियोजन सामग्रियों को जानकारी एवं वितरण हेतु रखना सुनिश्चित किया जा सके।

इस गतिविधि से सम्बन्धित तकनीकी सहयोग – "उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (UP TSU)" द्वारा प्रदान किया जाएगा।

प्रति एफ.पी. कॉर्नर (हैंगिंग वाल माउन्ट) स्थापित किए जाने हेतु धनराशि रु0 3500/- प्रावधानित है जिसका स्पेसिफिकेशन निम्न तालिका अनुसार है –

1/1

1/1

Description	Unit Cost (Rs.)
Wall hanging racks collapsible family planning corner Specification of wall hanging rack 1200 gsm Microns Zorbo Board 24-inch x 48 inch 12-inch flat platform on the top shelf UV Printing throughout the rack Semi-blade cuts throughout the rack to facilitate collapse Digital Die Cutting with 80 gg German Cutters 3 shelves with pockets Branding throughout the rack Depth 10 inches Collapsible side walls for branding	3,500.00

10.3 मिशन परिवार विकास अभियान में प्रयोग होने वाले हैंडबिलों का मुद्रण (FMR-50.15) – परिवार नियोजन के महत्व एवं प्रचार प्रसार के लिए अभियान के दौरान परिवार नियोजन के मुख्य संदेशों का हैंडबिल के रूप में मुद्रण करा कर जन समुदाय में वितरित करवाना है। अभियान के दौरान चलाये जा रहे सभी सारथी वाहनों में प्रचुर मात्रा में हैंडबिल की उपलब्धता रहनी चाहिए एवं इसका वितरण भी होना चाहिए। इन हैंडबिलों में सीमित परिवार के महत्व, परिवार नियोजन साधनों के प्रयोग की जानकारी, परिवार नियोजन के साधन के मिलने के स्थान एवं सेवा प्रदाताओं की जानकारी आदि की सूचना प्रदर्शित होनी चाहिए। प्रति जनपद हैंडबिल मुद्रण हेतु धनराशि रु 5,000.00 प्रति त्रैमास प्राविधानित है।

वित्तीय दिशा निर्देश- वर्ष 2024-25 में कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु डैप में आवंटित धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाना है, डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जाये साथ ही व्यय विवरण (Financial Accounts Management System (FAMS) पोर्टल पर अपडेट किया जाये।

भारत सरकार द्वारा दिये गये फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट मैनुअल में निहित वित्तीय नियमों शासनादेशों अन्य प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही समस्त व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये। समस्त भुगतान Financial Accounts Management System (FAMS) पोर्टल का प्रयोग करते हुये पब्लिक फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार किये जायेंगे, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा सके।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)



राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश
16, ए0पी0 सेन रोड, मण्डी परिषद भवन लखनऊ

संलग्नक-3



प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./CAC-DHAP/176-4/2024-25/1658-2 दिनांक 24.06.2024
विषय : वर्ष 2024-25 में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑन गोईंग गतिविधियों के संचालन हेतु बजट आवंटन तथा डैप (दिशा निर्देश) के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार से अनुमोदित वर्ष 2024-25 की आर0ओ0पी0 में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर ऑन गोईंग गतिविधियों के संचालन हेतु प्रेषित प्रस्तावों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आर0ओ0पी0 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाना है।

अतः सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित की जाने वाली अनुमोदित गतिविधियों के सम्पादन हेतु बजट का FAMS Allocation समस्त जनपदों को कर दिया गया है, जिसकी जनपदवार फॉट पत्र के साथ संलग्न है। पत्र के साथ सुरक्षित गर्भपात सेवाएं से सम्बन्धित बजट उपयोग किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश (डैप गाईड लाईन) संलग्न कर जनपदों को इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि सभी गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन तथा व्यय की गई धनराशि का शासकीय एवं वित्तीय नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप उपयोगित किये जाने के उपरांत वित्तीय प्रगति को फैंस पोर्टल पर ससमय सूचना अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि संलग्नित डैप दिशा निर्देश के अनुसार गतिविधियों का सम्पादन करते हुए बजट आवंटित सीमा तक नियमानुसार उपयोगित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक - सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार बजट फॉट एवं डैप दिशा निर्देश।

भवदीया-

(डॉ० पिकी जोषल)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक :- एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./CAC-DHAP/176-4/2024-25

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, प0क0, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबंधक/कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय एफ0पी0 एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य निदेशक, आई0पास0 फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश।

(डॉ० सूर्याशु ओझा)
महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु सुरक्षित गर्भपात सेवायें कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑन गोईंग गतिविधियों के सम्पादन हेतु दिशा निर्देश (डैप गाईडलाईन)

देश में होने वाली मातृ मृत्यु में से 08 प्रतिशत से अधिक मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती हैं, जिससे महिला के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। देश में गर्भपात कानूनन वैध है तथा सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 एवं एमटीपी एक्ट संशोधन 2021 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- सर्जिकल मेथड से गर्भपात कराये जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन (FMR-10.2)—सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु सर्जिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रूप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को सर्जिकल गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित किया जाता है तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु 150.00 प्रति केस दिया जाएगा।
- मेडिकल मेथड से गर्भपात कराए जाने की स्थिति में आशा को प्रोत्साहन (FMR-10.3)—सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने हेतु मेडिकल मेथड से गर्भपात किए जाने की स्थिति में आशा को यात्रा भत्ता के रूप में प्रतिपूर्ति राशि दिया जाना है। इस योजना के तहत आशा द्वारा यदि किसी महिला को मेडिकल मेथड से गर्भपात सेवा दिलाने हेतु प्रेरित कर सेवा दिलायी जाती है तो आशा को एकमुश्त धनराशि रु 225.00 प्रति केस दिया जाएगा।
- सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण (FMR-10.4)—सुरक्षित गर्भपात सेवा टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण लखनऊ के वीरंगना अवन्तीबाई चिकित्सालय में आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार रु 2,11,440.00 के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है—

Comprehensive Abortion Care trainings (Including MVA/ EVA and Medical abortion) for Trainers- 2024-25					
1	Programme Budget for - TOT on CAC services				
2	Duration - 04 Working days				
3	Participants- 12 per Batch				
4	Training Conducted By- NHM				
5	Total no. of Batches Proposed for Year 2024-25 - 02 Batch				
6	Budget for one batch-Rs. 2,11,440/-				
Sl.No	Activities	Rate in Rs.	No of participant	Days	Total
1	Honararium per diem to Trainer- Doctor	1000	2	4	8000.00
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	4	2000.00
3	Honararium per diem to Participants-MOs	500	12	4	24000.00
4	Accomodation to Participants- MOs	1500	12	4	72000.00
5	Food- 12 Participants + 2 Trainers	250	14	4	14000.00
6	MVA kits for Participants	3000	12		36000.00
7	Incidental expenses -MOs	300	12	4	14400.00
	Total excluding TA				170400.00
8	TA -MO	2000	12	1	24000.00
	Total including TA				194400.00
9	Institutional Over Head 10 % of total training expenses excluding TA				17040.00
	Total Budget for 1 Batch in Rupees				211440.00

- सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का प्रशिक्षण (FMR- 10.5) —सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों का 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के विन्हित जनपदों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के 14 प्रशिक्षण केन्द्रों में आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन संस्था के सहयोग से आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि रु 1,56,480.00 उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है—

Comprehensive Abortion Care Training for Medical Officers 2024-25	
1	Duration - 12 Working days for Medical Officers
2	Participants- 03 Medical Officers per Batch
3	Training Conducted By-CAC Training Centers

i J all & N ①

Comprehensive Abortion Care Training for Medical Officers 2024-25					
4	Total no. of Batches Proposed for Year 2024-25 - 35 Batches				
5	Budget for one batch - Rs.156480/batch				
Sl.No	Activities	Rate in Rs.	No of participant	Days	Total
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	12	24000.00
2	Honararium per diem to Participants MO	500	3	12	18000.00
3	Accomodation for Participants	1500	3	12	54000.00
4	Honararium per diem to trainer nurse	500	1	12	6000.00
5	Food to Participants and Trainers	250	5	12	15000.00
6	MVA Kits for Participatnts	3000	3	1	9000.00
7	Materials and Documents expenses	300	3	12	10800.00
	Total excluding TA				136800.00
8	TA for Participants-MO (on Actual basis)	2000	3	1	6000.00
9	Institutional overhead 10% of total training expenses excluding TA				13680.00
	Total including TA				156480.00
	Total Budget for 1 Batch Rupees				156480.00

- सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का प्रशिक्षण (FMR- 10.6)–सुरक्षित गर्भपात सेवा के अन्तर्गत स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ का 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के विहित 14 जनपदों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि के उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है:-

Comprehensive Abortion Care Training for Obs & Gynae 2024-25					
1	Duration - 5 Working days for Obs & Gynae				
2	Participants- 04 Obs & Gynae per batch				
3	Training Conducted By- CAC Training Centre				
4	Budget for one batch- Rs.93800/Batch				
Sl.No	Activities	Rate in Rs.	No of participant	Days	Total
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	5	10000.00
2	Honararium per diem to Trainer- SN	500	1	5	2500.00
3	Honararium per diem to Participants MO	500	4	5	10000.00
4	Accomodation for Participants	1500	4	5	30000.00
5	Food to Participants and Trainers	250	6	5	7500.00
6	MVA kits for Participants	3000	4	0	12000.00
7	Incidental expenses	300	4	5	6000.00
	Total Excluding TA				78000.00
8	TA for Participants-MO (On Actual Basis)	2000	4	1	8000.00
9	Institutional overhead 10% of total training expenses excluding TA				7800.00
	Total including TA				93800.00
	Total Budget for 1 Batch Rupees				93800.00

- सुरक्षित गर्भपात के अन्तर्गत औषधियों द्वारा गर्भपात का प्रशिक्षण (FMR- 10.8)-सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु औषधियों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षण कराना तय किया गया है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम में औषधियों द्वारा गर्भपात विशिष्ट (MMA) का प्रशिक्षण राज्य के 14 सुरक्षित गर्भपात प्रशिक्षण केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण 03 दिवसीय होगा, जिसके प्रत्येक बैच में 10 एम0वी0वी0एस0 सेवा प्रदाता प्रशिक्षित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण आइपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाएगा 03 दिवसीय प्रशिक्षित सेवा प्रदाता अपने स्वास्थ्य इकाइयों पर मेडिकल मेथड ऑफ एवॉर्शन की सेवाएं दे सकेंगे। उक्त प्रशिक्षण हेतु संबंधित जनपदों द्वारा प्रति बैचवार धनराशि रु01,08,000.00 उपयोग हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं -

Comprehensive Abortion Care Training for MMA only 2024-25					
1	Duration - 03 Working days for Medical Officers				
2	Participants- 10 Medical Officers per Batch				
3	Training Conducted By-Training Centers				
4	Budget for one batch - Rs.108000/batch				
Sl.	Activities	Rate in Rs.	No of participant	Days	Total
1	Honararium per diem to Trainer- Two Doctor	1000	2	3	6000
2	Honararium per diem to Participants MO	500	10	3	15000
3	Accomodation for Participants	1500	10	3	45000
4	Food to Participants and Trainers	250	12	3	9000
5	Stationary including certificates	150	10	1	1500
6	Training Manual	350	10	1	3500
	Total excluding TA				80000
	TA for Participants-MO	2000	10	1	20000
8	Institutional over head 10% of total training expenses excluding TA				8000
	Total Budget for 1 Batch Rupees				108000

- सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के दस्तावेजीकरण हेतु प्रपत्र/रजिस्टर आदि का मुद्रण (FMR- 10.11)- सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन एवं अनुभवण हेतु प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रपत्र/ रजिस्टर आदि के मुद्रण हेतु धनराशि का प्राविधान है -

क्रम	विवरण	दर रु0 में
1	RMP Opinion form booklet	150.00
2	Consent form booklet	150.00
3	Admission Register	150.00
4	Evacuation register	150.00
5	Form D Register	150.00
6	Form E Register	150.00
7	MMA Card	10.00

- सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम में आई0ई0सी0 के अंतर्गत पोस्टर एवं आशा लीफलेट का मुद्रण (10.13) - सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्ष भारत सरकार ने कार्यक्रम एवं सेवाओं के बारे में जनजागरूकता बढ़ाने हेतु स्वास्थ्य इकाइयों पर प्रदर्शित करने हेतु पोस्टरों के प्रारूप भेजे हैं, जिन्हें स्वास्थ्य इकाइयों पर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनसमुदाय को जानकारी मिल

A D S M

सके। प्रति पोस्टर धनराशि ₹0 50/- प्राविधानित है। पोस्टर के साथ ही राज्य की सभी आशाओं एवं संगिनी को सुरक्षित गर्भपात एवं गर्भपात पश्चात परिवार नियोजन पर क्षमतावृद्धि करने के उद्देश्य से लीफलेट का मुद्रण भी किया जाना है। प्रति लीफलेट धनराशि ₹0 10/- प्राविधानित है।

➤ **क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक (10.1)-**

सुरक्षित गर्भपात सेवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं रणनीति नियोजन हेतु राज्य के 5 क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशालाओं का आयोजन वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आयोजित किया जाना है। इन समीक्षा बैठकों में मंडलीय संयुक्त निदेशक, अपर मुख्यचिकित्साधिकारी, नोडल ऑफिसर (परिवार कल्याण/ कैंक), प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, जिला लेखा प्रबंधक, मंडलीय एवं जिला स्तरीय एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 मैनेजर्स एवं प्रत्येक जनपद से एक प्रशिक्षित सेवा प्रदाता प्रतिभाग करेंगे। उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा इकाईवार सेवाप्रदातावार उपलब्धि की समीक्षा के साथ संसाधनों की उपलब्धता आदि की समीक्षा की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर बैठक के आयोजन हेतु ₹0 100000/- प्रति समीक्षा बैठक की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है। उक्त समीक्षा बैठक का आयोजन 5 मंडलीय मुख्यालय जनपद यथा - आगरा, अयोध्या, झाँसी, लखनऊ एवं वाराणसी में किया जाना है, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी।

➤ **सुरक्षित गर्भपात सेवाओं कार्यक्रम के अंतर्गत एम0वी0ए0 किट का क्रय (10.10)-**

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एम0वी0ए0 किट का क्रय किया जाना है। एम0वी0ए0 किट का वितरण ऐसी स्वास्थ्य इकाईओं पर किया जाना है, जहाँ पर पूर्व से प्रशिक्षित सेवा प्रदाता उपलब्ध हैं या इस वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित किये जा रहे हैं। प्रति किट ₹0 3000/- की दर से धनराशि का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय दिशा निर्देश- समस्त भुगतान FAMS सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुये PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, जिससे कि व्यय धनराशि एवं उपलब्ध बजट की धनराशि का सतत रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

1/1/24

सॉ. प्रशा. अ. अ. अ.
प्रशा. अ. अ. अ. अ. अ. अ.
प्रशा. अ. अ. अ. अ. अ. अ.

DHAP Allocation FY 2024-2025 CAC Program

Annexure-1

SL.No	District	Procurement of MVA Kit for safe abortion budget allocation	Procurement of MVA Kits @ Rs.3000/kit
10.10			
1	AGRA	80	240000.00
2	ALIGARH	50	150000.00
3	AMBEDKAR NAGAR	30	90000.00
4	AMETHI	30	90000.00
5	AURAIYA	30	90000.00
6	AZAMGARH	50	150000.00
7	BAGHPAT	30	90000.00
8	BAHRAICH	50	150000.00
9	BALLIA	30	90000.00
10	BALRAMPUR	30	90000.00
11	BANDA	30	90000.00
12	BARABANKI	30	90000.00
13	BAREILLY	90	270000.00
14	BASTI	40	120000.00
15	BIJNOR	30	90000.00
16	Budaun	30	90000.00
17	BULANDSHAHAR	40	120000.00
18	CHANDAULI	30	90000.00
19	CHITRAKOOT	30	90000.00
20	DEORIA	30	90000.00
21	ETAH	30	90000.00
22	ETAWAH	30	90000.00
23	AYODHYA	80	240000.00
24	FARRUKHABAD	30	90000.00
25	FATEHPUR	30	90000.00
26	FIROZABAD	30	90000.00
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	30	90000.00
28	GHAZIABAD	80	240000.00
29	GHAZIPUR	30	90000.00
30	GONDA	40	120000.00
31	GORAKHPUR	80	240000.00
32	HAMIRPUR	30	90000.00
33	HAPUR	25	75000.00
34	HARDOI	30	90000.00
35	HATHRAS	30	90000.00
36	JALAUN	30	90000.00
37	JAUNPUR	30	90000.00
38	JHANSI	80	240000.00
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	30	90000.00
40	KANNAUJ	30	90000.00
41	KANPUR DEHAT	30	90000.00

DHAP Allocation FY 2024-2025 CAC Program

Annexure-1

SL.No	District	Procurement of MVA Kit for safe abortion budget allocation	Procurement of MVA Kits @ Rs.3000/kit
10.10			
42	KANPUR NAGAR	60	180000.00
43	KASGANJ	25	75000.00
44	KAUSHAMBI	30	90000.00
45	LAKHIMPUR KHERI	30	90000.00
46	KUSHINAGAR	30	90000.00
47	LALITPUR	30	90000.00
48	LUCKNOW	100	300000.00
49	MAHARAJGANJ	30	90000.00
50	MAHOBA	25	75000.00
51	MAINPURI	25	75000.00
52	MATHURA	30	90000.00
53	MAU	30	90000.00
54	MEERUT	80	240000.00
55	MIRZAPUR	50	150000.00
56	MORADABAD	50	150000.00
57	MUZAFFARNAGAR	50	150000.00
58	PILIBHIT	30	90000.00
59	PRATAPGARH	30	90000.00
60	PRAYAGRAJ	80	240000.00
61	RAEBARELI	30	90000.00
62	RAMPUR	30	90000.00
63	SAHARANPUR	70	210000.00
64	SAMBHAL	20	60000.00
65	SANTKABIR NAGAR	30	90000.00
66	SANT RAVIDAS NAGAR	30	90000.00
67	SHAHJAHANPUR	30	90000.00
68	SHAMLI	20	60000.00
69	SHRAWASTI	30	90000.00
70	SIDDHARTH NAGAR	30	90000.00
71	SITAPUR	30	90000.00
72	SONBHADRA	40	120000.00
73	SULTANPUR	40	120000.00
74	UNNAO	50	150000.00
75	VARANASI	80	240000.00
Total		3000	9000000.00

G A M J V

DHAP Allocation FY 2024-2025 CAC Program

Annexure-2

Sl. No	District	Training of Trainers on Safe Abortion Services	Budget allocation for ToT @Rs.211440/ batch	Training of Medical Officers (MBBS) in safe abortion	Budget allocation for trainings of MBBS @Rs.156480/ batch	Training of Obs & Gynae- No of Batches	Budget allocation for trainings of Obs/Gynaec @Rs.93800/batch	MMA Specific training of MOs on Safe Abortion Services	Budget allocation for MMA training @ Rs.108000/ batch (In Rs.)
		10.4		10.5		10.6		10.8	
1	AGRA			2	312960.00		0.00	1	108000.00
2	AJMER			3	469440.00	1	93800.00	1	108000.00
3	AMBALIKAR NAGAR				0.00		0.00	0	0.00
4	ANUPRA				0.00		0.00	0	0.00
5	AURANGABAD				0.00		0.00	0	0.00
6	AZAMGARH				0.00		0.00	0	0.00
7	BAGPAT				0.00		0.00	0	0.00
8	BAHRAICH			2	312960.00		0.00	1	108000.00
9	BALLIA				0.00		0.00	0	0.00
10	BALRAMPUR				0.00		0.00	0	0.00
11	BANDA				0.00		0.00	0	0.00
12	BARABANKI				0.00		0.00	0	0.00
13	BAREILLY			3	469440.00		0.00	1	108000.00
14	BELTI				0.00		0.00	0	0.00
15	BINDRA				0.00		0.00	0	0.00
16	BUDAUN				0.00		0.00	0	0.00
17	BULANDSHAHAR			2	312960.00		0.00	1	108000.00
18	CHANDANLI				0.00		0.00	0	0.00
19	CHITRAKOOT				0.00		0.00	0	0.00
20	DEORIA				0.00		0.00	0	0.00
21	ETAH				0.00		0.00	0	0.00
22	ETAHAR				0.00		0.00	0	0.00
23	AYODHYA			2	312960.00		0.00	1	108000.00
24	FARRUKHABAD				0.00		0.00	0	0.00
25	FATEHPUR				0.00		0.00	0	0.00
26	FIRUZABAD				0.00		0.00	0	0.00
27	GALLIEMBUDDH NAGAR				0.00		0.00	0	0.00
28	GHAZIABAD			2	312960.00		0.00	1	108000.00
29	GHAZIAPUR				0.00		0.00	0	0.00
30	GONDA				0.00		0.00	0	0.00
31	GORAKHPUR			3	469440.00		0.00	1	108000.00
32	HAMIRPUR				0.00		0.00	0	0.00
33	HARIDWAR				0.00		0.00	0	0.00
34	HARDOI				0.00		0.00	0	0.00
35	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
36	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
37	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
38	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
39	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
40	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
41	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
42	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
43	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
44	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
45	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
46	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
47	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
48	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
49	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
50	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
51	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
52	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
53	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
54	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
55	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
56	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
57	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
58	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
59	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
60	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
61	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
62	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
63	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
64	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
65	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
66	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
67	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
68	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
69	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
70	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
71	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
72	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
73	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
74	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
75	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
76	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
77	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
78	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
79	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
80	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
81	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
82	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
83	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
84	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
85	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
86	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
87	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
88	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
89	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
90	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
91	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
92	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
93	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
94	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
95	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
96	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
97	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
98	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
99	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
100	HATHRAS				0.00		0.00	0	0.00
Total		2	422880.00	35	547680.00	7	656800.00	14	1512000.00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a circled number '4' on the right.

DHAP Allocation FY 2024-2025 CAC Program

Annexure-3

Sl.No	District	ASHA incentives- Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for Surgical Abortion @ Rs 150/client	ASHA incentives- Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for Surgical Abortion budget allocation (In Rs.)	ASHA incentives- Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for medical abortion @ Rs.225/client	ASHA incentives- Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for medical abortion budget allocation (In Rs.)
		10.2		10.3	
1	AGRA	284	42600.00	189	42525.00
2	ALIGARH	284	42600.00	236	53100.00
3	AMBEDKAR NAGAR	95	14250.00	95	21375.00
4	AMETHI	95	14250.00	95	21375.00
5	AURAIYA	95	14250.00	95	21375.00
6	AZAMGARH	95	14250.00	95	21375.00
7	BAGHPAT	95	14250.00	95	21375.00
8	BAHRAICH	284	42600.00	189	42525.00
9	BALLIA	95	14250.00	95	21375.00
10	BALRAMPUR	95	14250.00	95	21375.00
11	BANDA	95	14250.00	95	21375.00
12	BARABANKI	95	14250.00	95	21375.00
13	BAREILLY	284	42600.00	189	42525.00
14	BASTI	95	14250.00	95	21375.00
15	BIJNOR	95	14250.00	95	21375.00
16	Budaun	95	14250.00	95	21375.00
17	BULANDSHAHR	284	42600.00	189	42525.00
18	CHANDAULI	95	14250.00	95	21375.00
19	CHITRAKOOT	95	14250.00	95	21375.00
20	DEORIA	95	14250.00	95	21375.00
21	ETAH	95	14250.00	95	21375.00
22	ETAWAH	95	14250.00	95	21375.00
23	AYODHYA	284	42600.00	189	42525.00
24	FARRUKHABAD	95	14250.00	95	21375.00
25	FATEHPUR	95	14250.00	95	21375.00
26	FIROZABAD	95	14250.00	95	21375.00
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	95	14250.00	95	21375.00
28	GHAZIABAD	284	42600.00	189	42525.00
29	GHAZIPUR	95	14250.00	95	21375.00
30	GONDA	95	14250.00	95	21375.00
31	GORAKHPUR	284	42600.00	189	42525.00
32	HAMIRPUR	95	14250.00	95	21375.00
33	HAPUR	47	7050.00	95	21375.00
34	HARDOI	95	14250.00	95	21375.00
35	HATHRAS	95	14250.00	95	21375.00
36	JALAUN	47	7050.00	95	21375.00
37	JAUNPUR	95	14250.00	95	21375.00
38	JHANSI	284	42600.00	189	42525.00
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	95	14250.00	95	21375.00
40	KANNAUJ	95	14250.00	95	21375.00
41	KANPUR DEHAT	95	14250.00	95	21375.00
42	KANPUR NAGAR	95	14250.00	95	21375.00
43	KASGANJ	80	12000.00	95	21375.00
44	KAUSHAMBI	95	14250.00	95	21375.00
45	LAKHIMPUR KHERI	95	14250.00	95	21375.00
46	KUSHINAGAR	95	14250.00	95	21375.00
47	LALITPUR	95	14250.00	95	21375.00
48	LUCKNOW	284	42600.00	236	53100.00

1 d

22

8

W

(S)

DHAP Allocation FY 2024-2025 CAC Program

Annexure-3

SL.No	District	ASHA incentives- Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for Surgical Abortion @ Rs 150/client	ASHA incentives- Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for Surgical Abortion budget allocation (In Rs.)	ASHA incentives- Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for medical abortion @ Rs.225/client	ASHA incentives- Reimbursement of travel expenses for accompanying a women to facility for medical abortion budget allocation (In Rs.)
49	MAHARAJGANJ	95	14250.00	95	21375.00
50	MAHOBA	95	14250.00	95	21375.00
51	MAINPURI	95	14250.00	95	21375.00
52	MATHURA	95	14250.00	95	21375.00
53	MAU	95	14250.00	95	21375.00
54	MEERUT	95	14250.00	95	21375.00
55	MIRZAPUR	95	14250.00	95	21375.00
56	MORADABAD	95	14250.00	95	21375.00
57	MUZAFFARNAGAR	95	14250.00	95	21375.00
58	PILIBHIT	95	14250.00	95	21375.00
59	PRATAPGARH	95	14250.00	95	21375.00
60	PRAYAGRAJ	284	42600.00	189	42525.00
61	RAEBARELI	95	14250.00	95	21375.00
62	RAMPUR	95	14250.00	95	21375.00
63	SAHARANPUR	284	42600.00	189	42525.00
64	SAMBHAL	95	14250.00	95	21375.00
65	SANTKABIR NAGAR	95	14250.00	95	21375.00
66	SANT RAVIDAS NAGAR	95	14250.00	95	21375.00
67	SHAHJAHANPUR	95	14250.00	95	21375.00
68	SHAMLI	95	14250.00	95	21375.00
69	SHRAWASTI	95	14250.00	95	21375.00
70	SIDDHARTH NAGAR	95	14250.00	95	21375.00
71	SITAPUR	95	14250.00	95	21375.00
72	SONBHADRA	95	14250.00	95	21375.00
73	SULTANPUR	95	14250.00	95	21375.00
74	UNNAO	284	42600.00	236	53100.00
75	VARANASI	284	42600.00	236	53100.00
Total		9660	1449000.00	8629	1941525.00

G A M J W

DHAP Allocation FY 2024-2025 CAC Program

Annexure-5

Sl.No	District	Regional Review meetings on CAC @ 100000/- per meeting (In Rs.)
		10.1
1	AGRA	100000.00
2	ALIGARH	0.00
3	AMBEDKAR NAGAR	0.00
4	AMETHI	0.00
5	AURAIYA	0.00
6	AZAMGARH	0.00
7	BAGHPAT	0.00
8	BAHRAICH	0.00
9	BALLIA	0.00
10	BALRAMPUR	0.00
11	BANDA	0.00
12	BARABANKI	0.00
13	BAREILLY	0.00
14	BASTI	0.00
15	BIJNOR	0.00
16	Budaun	0.00
17	BULANDSHAHAR	0.00
18	CHANDAULI	0.00
19	CHITRAKOOT	0.00
20	DEORIA	0.00
21	ETAH	0.00
22	ETAWAH	0.00
23	AYODHYA	100000.00
24	FARRUKHABAD	0.00
25	FATEHPUR	0.00
26	FIROZABAD	0.00
27	GAUTAM BUDDH NAGAR	0.00
28	GHAZIABAD	0.00
29	GHAZIPUR	0.00
30	GONDA	0.00
31	GORAKHPUR	0.00
32	HAMIRPUR	0.00
33	HAPUR	0.00
34	HARDOI	0.00
35	HATHRAS	0.00
36	JALAUN	0.00
37	JAUNPUR	0.00
38	JHANSI	100000.00
39	JYOTIBA PHULE NAGAR	0.00
40	KANNAUJ	0.00
41	KANPUR DEHAT	0.00
42	KANPUR NAGAR	0.00
43	KASGANJ	0.00
44	KAUSHAMBI	0.00
45	LAKHIMPUR KHERI	0.00
46	KUSHINAGAR	0.00
47	LALITPUR	0.00
48	LUCKNOW	100000.00
49	MAHARAJGANJ	0.00
50	MAHOBA	0.00
51	MAINPURI	0.00
52	MATHURA	0.00



DHAP Allocation FY 2024-2025 CAC Program

Annexure-5

SL.No	District	Regional Review meetings on CAC @ 100000/- per meeting (In Rs.)
		10.1
53	MAU	0.00
54	MEERUT	0.00
55	MIRZAPUR	0.00
56	MORADABAD	0.00
57	MUZAFFARNAGAR	0.00
58	PILIBHIT	0.00
59	PRATAPGARH	0.00
60	PRAYAGRAJ	0.00
61	RAEBARELI	0.00
62	RAMPUR	0.00
63	SAHARANPUR	0.00
64	SAMBHAL	0.00
65	SANTKABIR NAGAR	0.00
66	SANT RAVIDAS NAGAR	0.00
67	SHAHJAHANPUR	0.00
68	SHAMLI	0.00
69	SHRAWASTI	0.00
70	SIDDHARTH NAGAR	0.00
71	SITAPUR	0.00
72	SONBHADRA	0.00
73	SULTANPUR	0.00
74	UNNAO	0.00
75	VARANASI	100000.00
	Total	500000.00

8

v

W

W



राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश
16, ए०पी० सेन रोड, मण्डी परिषद भवन लखनऊ



प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./CAC-DHAP/176-4/2024-25

दिनांक: 24.06.2024

विषय : वर्ष 2024-25 में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑन गोईंग गतिविधियों के संचालन हेतु बजट आवंटन तथा डैप (दिशा निर्देश) के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि भारत सरकार से अनुमोदित वर्ष 2024-25 की आर०ओ०पी० में सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर ऑन गोईंग गतिविधियों के संचालन हेतु प्रेषित प्रस्तावों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आर०ओ०पी० में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों को निर्धारित दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित किया जाना है।

अतः सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर संचालित की जाने वाली अनुमोदित गतिविधियों के सम्पादन हेतु बजट का FAMS Allocation समस्त जनपदों को कर दिया गया है, जिसकी जनपदवार फॉट पत्र के साथ संलग्न है। पत्र के साथ सुरक्षित गर्भपात सेवाएं से सम्बन्धित बजट उपयोग किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशा निर्देश (डैप गाईड लाईन) संलग्न कर जनपदों को इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि सभी गतिविधियों का ससमय क्रियान्वयन तथा व्यय की गई धनराशि का शासकीय एवं वित्तीय नियमावली में प्रदत्त व्यावस्था के अनुरूप उपयोगित किये जाने के उपरांत वित्तीय प्रगति को फॅम्स पोर्टल पर ससमय सूचना अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

आपसे अनुरोध है कि संलग्नित डैप दिशा निर्देश के अनुसार गतिविधियों का सम्पादन करते हुए बजट आवंटित सीमा तक नियमानुसार उपयोगित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक - सुरक्षित गर्भपात सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधिवार बजट फॉट एवं डैप दिशा निर्देश।

भवदीया

(डॉ० पंकी जोवल)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक - एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./CAC-DHAP/176-4/2024-25/1658-2(8)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, महानिदेशालय, प०क०, उत्तर प्रदेश।
3. पित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबंधक/कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय एफ०पी० एण्ड लाजिस्टिक मैनेजर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य निदेशक, आई०पास० फगउंडेशन, उत्तर प्रदेश।

(डा० सूर्याशु ओझा)

महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन